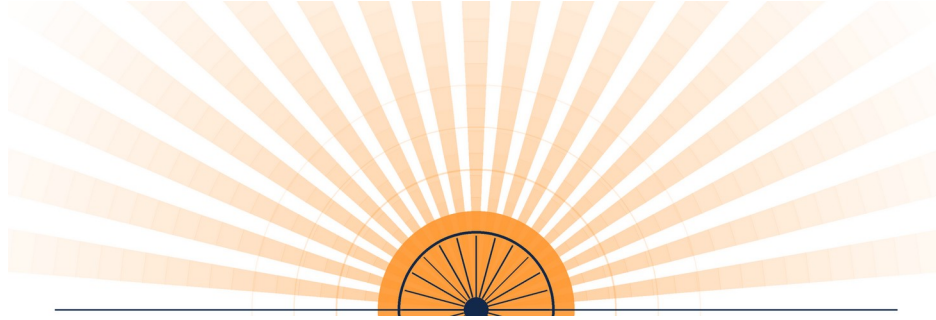




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“समाज की साझेदारी के उद्देश्य एक पीढ़ी में पूरे नहीं होते; इसलिए यह साझेदारी केवल जीवितों के बीच नहीं, बल्कि जो जीवित हैं, जो जा चुके हैं और जो अभी जन्मे नहीं — इन तीनों के बीच है।”

— एडमंड बर्क, रिफ्लेक्शन्स ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस (1790)

द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) — 15 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan · 15 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“कानून अपनी भव्य समानता में अमीर और गरीब, दोनों को पुलों के नीचे सोने, सड़कों पर भीख माँगने और रोटी चुराने से एक-सा रोकता है।”

— अनातोल फ्रांस · ल लिस रूज (Le Lys rouge, 'द रेड लिली'), 1894, अध्याय 7

उपयोग करें (Use in): सर्वोच्च न्यायालय का आज का आदेश (6 अक्टूबर का, 14 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ) कि 27 अक्टूबर से रेलवे काउंटर पर बिकने वाले हर टिकट के साथ “ऑनलाइन खरीदे टिकटों की ही तरह” बीमा होगा, और ऐसा न होने पर रेलवे बोर्ड सीधे उत्तरदायी होगा। नकद ₹30 देने वाला यात्री कागज़ पर 50 पैसे से भी कम में ₹10 लाख का बीमा लेने को स्वतंत्र था; व्यवहार में यह विकल्प केवल IRCTC ऐप पर था, इसलिए सबसे गरीब यात्री ही बिना बीमा रह गया। इसे समता के कानून के समक्ष और अधिकारों को वास्तविक बनाने के राज्य के कर्तव्य पर GS2 के उत्तरों में, तथा औपचारिक बनाम वास्तविक समानता पर निबंधों में प्रयोग करें। संतुलन के लिए: फ्रांस उस कानून का उपहास कर रहे थे जो असमान लोगों से समान व्यवहार करता है; यहाँ उपाय नियम को समाप्त करना नहीं, उसे विस्तार देना था, और एक न्यायालय का किसी बोर्ड को 27 अक्टूबर की समय-सीमा पर निर्देश देना शक्तियों के पृथक्करण का अपना प्रश्न खड़ा करता है (अगली सुनवाई 16 नवंबर को है)।

“सरकार के लिए महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह वे काम करे जो व्यक्ति पहले से कर रहे हैं, और उन्हें थोड़ा बेहतर या थोड़ा बदतर ढंग से करे; बल्कि यह है कि वह वे काम करे जो इस समय बिल्कुल नहीं किए जा रहे।”

— जॉन मेनार्ड कीन्स · द एंड ऑफ़ लेसे-फेयर (The End of Laissez-Faire) (1926), भाग IV

उपयोग करें (Use in): मंत्रिमंडल का आज का निर्णय कि IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फेयरफैक्स फ़ाइनेंशियल को ₹52,878 करोड़ में बेची जाए, जिसमें सरकार और LIC प्रत्येक लगभग 30% बेचेंगे और क्रमशः 15% और 19% रखेंगे, और खरीदार RBI की शर्तों से बंधा होगा: पाँच वर्ष तक बँधी पूँजी और 15 वर्ष में 26% तक उतरता मार्ग। इसे विनिवेश और 2021 की सार्वजनिक उद्यम नीति (जो सामरिक क्षेत्रों में न्यूनतम सार्वजनिक उद्यम रखती है) पर GS3 के उत्तरों में, तथा राज्य की भूमिका पर निबंधों में प्रयोग करें: कीन्स, जो मुक्त बाज़ार के पैरोकार नहीं थे, मानते थे कि राज्य का काम वह है जो और कोई नहीं करेगा, न कि वह चलाना जो निजी हाथ पहले से चला रहे हैं। संतुलन के लिए: बैंक कोई बिस्कुट कारखाना नहीं है; जमाकर्ताओं का धन और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण स्वामित्व चाहे जिसका हो, सार्वजनिक चिंता के विषय है, इसीलिए बंधाव और उतरते मार्ग का निर्धारण DIPAM नहीं, RBI करता है, और इसीलिए यूनियन मूल्य (बोलियों से पहले ₹70.38 के मुकाबले ₹81 प्रति शेयर) को बहुत कम बताती हैं।

“दुनिया में अकालों के भयावह इतिहास में, किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में, जहाँ प्रेस अपेक्षाकृत स्वतंत्र हो, कभी कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा।”

— अमर्त्य सेन · “लोकतंत्र एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में” (Democracy as a Universal Value), जर्नल ऑफ़ डेमोक्रेसी, खंड 10, अंक 3 (जुलाई 1999)

उपयोग करें (Use in): महाराष्ट्र की आज की घोषणा कि वह दीपावली से पहले अनुमानित 1.25 से 1.45 करोड़ किसानों को ₹5,000 प्रति किसान अंतरित करेगा, जबकि 358 में से 305 तहसीलों में सूखा घोषित है और केंद्र का पैकेज, अपने “नियमों, चरणों और तिथियों” के साथ, दिसंबर से पहले अपेक्षित नहीं। सेन की बात ठीक इसी तंत्र की है: स्वतंत्र प्रेस मराठवाड़ा की सूखी तहसीलों और टैकरों की खबर देता है, किसान संगठन और विपक्षी प्रेस आवाज़ उठाते हैं, और सरकार फ़ाइल से पहले हरकत में आती है। इसे लोकतंत्र और जवाबदेही पर GS2 के उत्तरों में, सूखा प्रबंधन (सूखा नियमावली 2016, SDRF मानदंड) पर GS3 में, तथा स्वतंत्रता और विकास पर निबंधों में प्रयोग करें। संतुलन के लिए: सेन ने अकाल की बात की थी, संकट की नहीं: लोकतंत्र सामूहिक मृत्यु को पुरानी भूख या कृषि-ऋण से कहीं बेहतर ढंग से रोकते हैं, और अखिल भारतीय किसान सभा की यह चेतावनी कि पिछले अग्रिम चुपचाप अंतिम पैकेज बन गए, दिखाती है कि दबाव सुखी तो पैदा कर सकता है, राहत नहीं।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड · पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 7 मिनट।

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 सर्वोच्च न्यायालय का आदेश: 27 अक्टूबर से काउंटर पर बिके रेल टिकटों का भी बीमा; जवाबदेही रेलवे बोर्ड की
- 1.2 सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार के खाते का डेटा माँगने वाला पुलिस का नोटिस X के नाम 'ज़रूरत से ज़्यादा' कहकर रद्द किया
- 1.3 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने OBC रिपोर्ट लंबित रहने पर भी उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी ₹52,878 करोड़ में फेयरफैक्स को बेचने को मंजूरी दी
- 2.2 यूरोप के अमेरिकी खेप खरीद लेने से ओमान और नाइजीरिया अमेरिका को पछाड़कर भारत के शीर्ष LNG आपूर्तिकर्ता बने

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 महाराष्ट्र दिवाली से पहले 1.45 करोड़ तक किसानों को ₹5,000 देगा; 358 में से 305 तहसीलों में सूखा
- 3.2 चेरुवायल रमन, तीन एकड़ में धान की 55 देसी किस्में बचाने वाले कुरिचिया किसान, 76 वर्ष की आयु में नहीं रहे

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 भारत ने अतिरिक्त क्षमता पर अमेरिका के नेतृत्व वाले वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, जबकि उसकी अपनी धारा 301 जाँच का निष्कर्ष नज़दीक है
- 4.2 रुबियो 20-22 अक्टूबर को भारत आएँगे, रूस प्रतिबंध कानून के बाद उनकी पहली यात्रा

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 किगाली के 10 वर्ष: भारत को 2028 में HFC पर रोक लगानी होगी और 2047 तक 85% कटौती करनी होगी, जबकि शीतलन की माँग दोगुनी होने को है

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 6.1 DRDO: 2047 तक चिप में आत्मनिर्भरता न आई तो भविष्य के संघर्षों में भारत के विफल होने का जोखिम

7. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 7.1 राज्यों के "बिना विनिर्देश" सायरन खरीदने के बाद C-DOT ने टेक्स्ट से चालू होने वाले, भू-परिसीमित हवाई-हमला सायरन का परीक्षण किया
- 7.2 भारत डायनेमिक्स ने 300 मिसाइल साइट की एकल निविदा अपने पूर्व CMD की बनाई फ़र्म को दी

8. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 8.1 केस 1 — मेज़ पर एकल निविदा: खरीद अधिकारी और सेवानिवृत्त हुआ प्रमुख
- 8.2 केस 2 — राजभवन की डायरी: राज्यपाल का सचिव और पार्टी-संपर्क का अनुरोध

9. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 9 20 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

10. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 10.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1
- 10.2 GS1 कोना — Geography: ज़ांस्कर: निम्न-पदुम-दारचा सड़क के पीछे की घाटी
- 10.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (5)
- 10.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): हितों का टकराव (और शीतलन अवधि)
- 10.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 11.1 संधि उन लोगों से किया गया वादा है जिनका अभी जन्म नहीं हुआ।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी ख़बरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	सर्वोच्च न्यायालय का आदेश : काउंटर पर खरीदे गए रेल टिकटों पर बीमा ; रेलवे बोर्ड जवाबदेह क्यों ज़रूरी: GS2 शक्ति-पृथक्करण: प्रारंभिक परीक्षा के लिए रेल अधिनियम की धारा 124/124A; मुख्य परीक्षा के लिए सतत परमादेश बनाम अतिक्रमण।
2.1	मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फेयरफैक्स को बेचने को मंजूरी दी क्यों ज़रूरी: GS3 संसाधन जुटाना; बैंक विनियमन: प्रारंभिक परीक्षा के लिए BR अधिनियम की धारा 12B, IWG 2020; मुख्य परीक्षा के लिए विदेशी स्वामित्व, जमाकर्ताओं की सुरक्षा।
3.1	महाराष्ट्र ने 1.45 करोड़ किसानों को ₹5,000 दिए ; 305 तहसीलों में सूखा क्यों ज़रूरी: GS3 आपदा प्रबंधन; संघवाद: प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएँ 46/48, सूखा नियमावली के संकेतक; मुख्य परीक्षा के लिए गति बनाम निष्पक्षता।
4.1	धारा 301 के करीब आते ही भारत ने अमेरिका-नेतृत्व वाले अतिरिक्त-क्षमता वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए क्यों ज़रूरी: GS2 द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मंच: प्रारंभिक परीक्षा के लिए धारा 301, GATT का अनुच्छेद I/XXIV, G20; मुख्य परीक्षा के लिए व्यापार में सामरिक स्वायत्तता।
5.1	किगाली के 10 वर्ष : भारत 2028 में HFC पर रोक लगाएगा, 2047 तक 85% कटौती करेगा क्यों ज़रूरी: GS3 पर्यावरण संधियाँ: प्रारंभिक परीक्षा के लिए वियना-मॉन्ट्रियल-किगाली परिवार, समूह 2 की अनुसूची, ICAP; मुख्य परीक्षा के लिए शीतलन का विरोधाभास।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — आज दो तरह के कार्ड हैं। "गहन अध्ययन" कार्ड दिन का कोई बड़ा मुद्दा है, जिसे आरवी सर के फ़ॉर्मूले से चुना गया है: वह पहले पृष्ठभूमि और कठिन शब्द समझाता है, फिर पाठ्यक्रम से जुड़ाव, प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य, तर्क सहित विश्लेषण, दोनों पक्ष, आगे की राह, आदर्श उत्तर-दृष्टिकोण के साथ मुख्य परीक्षा का प्रश्न, और वह निर्णय जो एक अधिकारी के सामने आएगा — साथ में यह भी कि वह तीन A (क्षमता, गुमनामी, सादगी) में से किसकी परीक्षा लेता है। "संक्षेप में" कार्ड वह खबर है जिसे जानना ज़रूरी है पर गहराई से पढ़ना नहीं: क्या हुआ, परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है, और प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य; उसमें आए विचार upscdarpan.in पर Concept Booster → आज के कॉन्सेप्ट में समझाए गए हैं। लंबे हिस्से शीर्षक वाले क्रमांकित बिंदुओं में हैं, ताकि शीर्षक पढ़कर ही तर्क समझ आ जाए। आखिरी पन्ना, आज का आईना, दो मिनट अपने साथ है।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

तीन अदालतें, और कार्यपालिका के छोड़े हुए तीन खाली स्थान। सर्वोच्च न्यायालय ने उस छेद को भरा जो डिजिटल-प्रथम बीमा योजना ने काउंटर के यात्री के आसपास छोड़ दिया था, और रेलवे बोर्ड से कहा कि बाकी का जवाब भी उसे ही देना होगा; उसी न्यायालय ने एक पत्रकार के डेटा पर पुलिस की माँग को किसी भी जाँच की ज़रूरत से कहीं ज्यादा बताकर रद्द कर दिया; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लंबित आयोग रिपोर्ट के बहाने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव टलने नहीं दिए। तीनों में सवाल एक ही है: जब दायित्व निभाने वाला इंतज़ार करता रहे, तब कार्रवाई कौन करे?

1.1 सर्वोच्च न्यायालय का आदेश: 27 अक्टूबर से काउंटर पर बिके रेल टिकटों का भी बीमा; जवाबदेही रेलवे बोर्ड की

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: ₹30 का काउंटर टिकट खरीदने वाले करोड़ों यात्रियों के पास कोई बीमा नहीं था, जबकि ऐप से बुकिंग करने वाले को वह 49 पैसे में मिल जाता था; न्यायालय ने यह खार्च पाटी और पूछा कि सुरक्षा के पैसे का जवाब कौन देगा।

मुद्दा Rail safety and accountability (नया मुद्दा) दृष्टि (Lens) स्वतंत्रता और व्यवस्था · स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी जून 2023 की ओडिशा रेल दुर्घटना के बाद दायर एक याचिका में जाँच और कवच (Kavach) को तेज़ी से लगाने की माँग की गई थी; न्यायालय ने उसका दायरा बढ़ाकर बाड़ लगाने, ऊपरी पुलों और बीमा तक कर दिया। 11 मई को केंद्र ने कहा कि ऑफ़लाइन टिकटों पर निर्णय ले लिया गया है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। जो यात्री स्टेशन की खिड़की पर नकद देकर ₹30 का टिकट लेता है, वह बिना बीमा के सफ़र करता है; जबकि IRCTC ऐप से बुकिंग करने वाला 50 पैसे से भी कम में ₹10 लाख का कवर खरीद सकता है। 6 अक्टूबर को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह भेद समाप्त कर दिया: “27 अक्टूबर 2026 से प्रभावी, सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बिकने वाले सभी टिकट भी उसी प्रकार बीमा के दायरे में होंगे जैसे ऑनलाइन खरीदे गए टिकट”, जिसे “अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, अन्यथा उत्तरदायित्व सीधे रेलवे बोर्ड पर होगा”। 14 अक्टूबर को रिपोर्ट हुए इस आदेश में मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति “घोर निराशा और अप्रसन्नता” दर्ज की गई है: आश्वासन “अधिकांशतः कागज़ों पर ही रहे” और सुरक्षा के लिए बजट में रखा गया धन पूरी तरह खर्च नहीं हुआ। अगली सुनवाई: 16 नवंबर।

पहले समझें — पृष्ठभूमि
(FIRST, UNDERSTAND
(BACKGROUND))

1. ऑनलाइन यात्री को 2016 से कौन-सा कवर मिलता रहा है — IRCTC ने 1 सितंबर 2016 से केवल ई-टिकटों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा शुरू किया। 6 फ़रवरी 2019 को लोकसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार मृत्यु पर ₹10 लाख के कवर के लिए प्रीमियम 49 पैसे प्रति यात्रा था, और काउंटर टिकटों के लिए कोई योजना नहीं थी।
2. रेल दुर्घटना होने पर रेलवे पर पहले से कौन-सा दायित्व है — रेल अधिनियम के तहत दुर्घटना के बाद रेलवे को मुआवज़ा देना ही पड़ता है, चाहे किसी की भी गलती न हो। परंतु यह पैसा तभी मिलता है जब रेल दावा अधिकरण में दावा किया जाए और असली यात्री होने का सबूत दिया जाए, और इसमें बरसों लग सकते हैं। बीमा इसके ऊपर से, जल्दी भुगतान करता है।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- रेल दावा अधिकरण (Railway Claims Tribunal) — वैधानिक अधिकरण, जो रेल दुर्घटनाओं और अनहोनी घटनाओं के बाद मुआवज़े के दावों का निपटारा करता है।
- अनहोनी घटना (Untoward incident) — रेल अधिनियम के अनुसार आतंकी कृत्य, डकैती, दंगा या किसी यात्री का रेलगाड़ी से अचानक गिर जाना।
- कवच (Kavach) — भारत की स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली, जो खतरे के संकेत को पार करने वाली गाड़ी में अपने आप ब्रेक लगा देती है।
- सतत परमादेश (Continuing mandamus) — न्यायालय का ऐसा आदेश जो सरकार के निर्देशों पर अमल होने तक मामले को खुला रखता है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

केवल ऐप तक सीमित योजना से नकद टिकट बीमा-रहित → काउंटर के यात्री बिना कवर के सफ़र करते हैं → दुर्घटना के बाद परिवार अधिकरण में मुकदमा लड़ते हैं → न्यायालय पाता है कि आश्वासन कागज़ों पर हैं और सुरक्षा बजट बिना खर्च पड़ा है → 27 अक्टूबर से हर काउंटर टिकट पर कवर का आदेश

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. रेल अधिनियम, 1989 दुर्घटनाओं के लिए बिना-दोष दायित्व तय करता है — धारा 124 के अनुसार रेल दुर्घटना में मृत्यु या चोट पर मुआवज़ा देने का दायित्व रेल प्रशासन का है, चाहे उसकी ओर से कोई गलत कृत्य, उपेक्षा या चूक हुई हो या नहीं। धारा 124A (1994) इसे अनहोनी घटनाओं तक बढ़ाती है; दावे रेल दावा अधिकरण (1987 के अधिनियम) में जाते हैं। 2. बोर्ड, मंत्रालय और सुरक्षा प्रहरी, ये तीन अलग निकाय हैं — भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के तहत गठित रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है; रेल (संशोधन) अधिनियम, 2025 उसे रेल अधिनियम, 1989 में (नई धारा 2A के रूप में) ले आता है और 1905 के अधिनियम को निरस्त करता है। दुर्घटनाओं की जाँच रेल सुरक्षा आयुक्त (Commission of Railway Safety) करता है, जो नागर विमानन मंत्रालय के अधीन है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. जब कार्यपालिका निर्णय ले पर अमल न करे, तो न्यायालय की समय-सीमा निगरानी है या अतिक्रमण? — GS2: “विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं क्रियान्वयन से उत्पन्न विषय”; “विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण”। आयाम: ऐसा अभिकल्प जिसने सबसे गरीब उपयोगकर्ता को बाहर कर दिया, और बिना खर्च हुए सुरक्षा बजट पर न्यायिक निगरानी।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 के तहत रेल दुर्घटना में मृत्यु या चोट के लिए रेलवे उत्तरदायी है, चाहे उसकी ओर से कोई गलत कृत्य, उपेक्षा या चूक न हुई हो; धारा 124A अनहोनी घटनाओं को समेटती है। ● रेलवे बोर्ड का गठन भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के तहत हुआ था; रेल (संशोधन) अधिनियम, 2025 उसे रेल अधिनियम, 1989 में धारा 2A के रूप में लाता है। रेल सुरक्षा आयुक्त नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ● IRCTC का वैकल्पिक यात्रा बीमा (2016) केवल ई-टिकटों पर लागू था (लोकसभा उत्तर, 2019)।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. काउंटर टिकट इसलिए छूटे क्योंकि योजना यात्री के लिए नहीं, स्क्रीन के लिए बनी थी — बीमा पॉलिसी के लिए नाम, नामित व्यक्ति और SMS से भेजा जाने वाला नंबर चाहिए; ई-टिकट में ये तीनों होते हैं, नकद टिकट में एक भी नहीं। न्यायालय ने बताया कि इसकी मार किस पर पड़ी: ‘आर्थिक रूप से वंचित यात्री, जो अक्सर रेलवे आरक्षण काउंटरों पर टिकट खरीदते हैं’। दूसरा मत यह है कि अनाम टिकट पर नामित पॉलिसी नहीं चल सकती; यह केवल आंशिक रूप से सही है, क्योंकि जोखिम को टिकट का नंबर ही परिभाषित करता है, और केंद्र ने 11 मई को कहा था कि निर्णय लिया जा चुका है। 2. लेंस — स्वतंत्रता और जवाबदेही: न्यायालय अपने सामने किए गए वादे को लागू करवा रहा है, योजना नहीं गढ़ रहा — आदेश तारीख तय करता है और एक निकाय का नाम लेता है; बीमाकर्ता और शर्तें रेलवे ही चुनेगा। इसके पीछे कारण यह रहा कि आश्वासन ‘अधिकांशतः कागज़ों पर ही रहे’, और आदेश के पाठ (LiveLaw, 13 अक्टूबर) के अनुसार बाड़ लगाने के लक्ष्य हर साल लगभग एक-तिहाई तक चूके, इसलिए पीठ यह पूछ सकती है कि क्या बोर्ड ‘अपने वर्तमान स्वरूप में’ बना रहना चाहिए। दूसरा पक्ष शक्तियों के पृथक्करण का है: किसी बोर्ड की योग्यता तौलने वाली अदालत उसे चलाने के करीब पहुँच जाती है। यह तर्क केवच और बाड़ के मामले में वज़नदार है, बीमा में बहुत कम, जो पहले ही तय हो चुका था और केवल अटका हुआ था। 3. रकम छोटी है; असल सवाल है कि बोझ कौन उठाए और यह कानून के अपने दायित्व में क्या जोड़ता है — प्रति यात्रा 49 पैसे के हिसाब से करोड़ों काउंटर यात्राओं का कवर साल में कुछ करोड़ रुपये का बैठता है, जबकि हर मृत्यु पर ₹10 लाख मिलेंगे। इसे नकद में वसूला नहीं जा सकता, इसलिए रेलवे को या तो इसे किराये में जोड़ना होगा या सुरक्षा बजट के उस पैसे से समूह पॉलिसी लेनी होगी जिसे न्यायालय ने खर्च न हुआ पाया। धारा 124 का मुआवज़ा इसका विकल्प नहीं है: अधिकरण के रास्ते में सबूत चाहिए और बरसों लगते हैं; पॉलिसी जल्दी भुगतान करती है, और टिकट ही सबूत है।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: यात्री: सबसे गरीब यात्री ही अकेले बीमा-रहित थे, और केंद्र ने 11 मई को खुद उन्हें कवर देने का निर्णय ले लिया था। ● + पक्ष में: न्यायालय: बिना खर्च हुए सुरक्षा धन पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों का नाम लेना अवमानना से पहले का एकमात्र उपाय है। ● – विपक्ष में: रेलवे: नकद टिकट पर पहचान दर्ज नहीं होती, बीमाकर्ताओं को नामांकन का डेटा चाहिए, और पीठ की तय की हुई तारीख निविदा के लिए समय नहीं छोड़ती। ● – विपक्ष में: शक्तियों का पृथक्करण: प्रीमियम और सुरक्षा की प्राथमिकताएँ कार्यपालिका की नीति के विषय हैं, पीठ के नहीं।

आगे की राह (WAY FORWARD)	1. समूह पॉलिसी को व्यक्ति से नहीं, टिकट के नंबर से जोड़ें — IRCTC ऐसा कवर निविदा में ले जो टिकट पर छपी यात्रा के आधार पर चले और जिसमें टिकट ही दावे का प्रमाण हो, ताकि खिड़की पर किसी नामांकन की ज़रूरत न पड़े। 2. हलफनामा मद-दर-मद दाखिल करें और फिर हर साल प्रकाशित करें — 16 नवंबर तक मार्ग-वार कवच, पैदल ऊपरी पुल और बाड़ लगाने की प्रगति बजट के मुकाबले दें, और यही आँकड़े हर साल के लेखों में भी रखें।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	बिना टिकट-बीमा वाले काउंटर टिकटों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिखाता है कि कार्यपालिका के छोड़े हुए खाली स्थान को न्यायिक निगरानी भर रही है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — न्यायालय के हस्तक्षेप के दोनों पक्ष तौलिए और निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. प्रस्तावना — एक वाक्य में खाली स्थान — नमूना: 2016 से ऑनलाइन यात्री 49 पैसे में यात्रा का बीमा करा सकता था, जबकि काउंटर का यात्री नहीं; 6 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने इस खाई को पाटने का आदेश दिया। 3. मुख्य भाग — यह बहिष्कार अभिकल्प का चुनाव था, कानूनी बाध्यता नहीं — केवल ई-टिकट वाली योजना; 2019 का लोकसभा उत्तर; 11 मई का आश्वासन। प्रवाह-चित्र: ऑनलाइन बुकिंग → पॉलिसी; काउंटर बुकिंग → कोई कवर नहीं → दुर्घटना → दावा अधिकरण। 4. मुख्य भाग — न्यायालय ने एक आश्वासन को लागू करवाया, नीति नहीं लिखी — सतत परमादेश: एक तारीख और एक जवाबदेह निकाय। मूल्य-वर्धन: बाड़ लगाने के लक्ष्य हर साल एक-तिहाई चूके। 5. मुख्य भाग — अतिक्रमण की आपत्ति इंजीनियरी मामलों में सबसे मज़बूत, बीमा में सबसे कमज़ोर — कवच और बाड़ ऐसी प्राथमिकताएँ हैं जिन्हें कोई पीठ तय नहीं कर सकती; बीमा तय हो चुका और लागत आँका हुआ उपाय था। 6. उपसंहार — बोर्ड कार्रवाई करे ताकि न्यायालय को न करनी पड़े — नमूना: रेलवे बोर्ड के रूप में मैं 27 अक्टूबर से पहले टिकट से जुड़े कवर की निविदा निकालूँगा और 16 नवंबर तक मद-वार सुरक्षा-व्यय का हलफनामा दाखिल करूँगा; अदालत अधिकारी का हाथ तभी थामती है जब वह अपना वादा हाथ से छोड़ चुका हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं और हर काउंटर टिकट का बीमा करने के लिए आपके पास बारह दिन हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): विकल्प हैं: और समय माँगना, खिड़की पर काउंटर यात्रियों का नामांकन करना, या ऐसी समूह पॉलिसी लेना जो टिकट से ही जुड़ी हो। साल भर के अधूरे आश्वासनों के बाद समय माँगना व्यक्तिगत तलबी को न्योता देगा। मैं समूह पॉलिसी चुनूँगा: IRCTC के बीमाकर्ता टिकट नंबरों पर प्रति यात्रा प्रीमियम बताएँगे, टिकट ही दावे का प्रमाण होगा, और प्रीमियम सुरक्षा की उस मद से आएगा जिसे न्यायालय ने कम खर्च वाला पाया। हितधारक: काउंटर का यात्री, बीमाकर्ता, स्टेशन कर्मचारी और वित्त सदस्य। निर्णायक मूल्य: आम आदमी की सुरक्षा कोई औपचारिकता नहीं है।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — बिना नाम के नकद टिकट को 27 अक्टूबर तक ₹10 लाख के नामित कवर से जोड़ना, और इसके लिए समय माँगने के बजाय पॉलिसी को टिकट नंबर से बाँध देना।

1.2 सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार के खाते का डेटा माँगने वाला पुलिस का नोटिस X के नाम 'ज़रूरत से ज़्यादा' कहकर रद्द किया

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा Digital evidence and privacy (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी गाज़ियाबाद पुलिस ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के विरुद्ध सड़क पर झगड़े की FIR दर्ज की थी, जिसके बारे में उनका कहना है कि राम मंदिर के चंदे पर उनकी खबरों के बाद उसे गढ़ा गया; सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। 14 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा X को भेजा वह नोटिस रद्द कर दिया जिसमें घटना से पहले के लगभग तीन महीनों के पत्रकार के खाते का डेटा माँगा गया था: लॉगिन IP, ईमेल, IMEI और पंजीकरण लॉग (Abhishek Upadhyay v. State of UP, LiveLaw के अनुसार)। न्यायालय ने कहा कि घटना से पहले की अवधि की कोई निजी जानकारी नहीं माँगी जा सकती; FIR के बाद भी ऐसा डेटा तभी माँगा जा सकता है जब आरोपी का पता लगाने या उसे गिरफ्तार करने के अन्य उपाय अपर्याप्त हों; और जो कुछ पहले ही प्राप्त हो चुका है वह

‘याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा’। न्यायमूर्ति बागची ने इस माँग को ‘ज़रूरत से ज़्यादा’ (an overkill) बताया। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि किस प्रावधान का प्रयोग किया गया।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2, ‘भूल अधिकार’। डिजिटल अभिलेखों के लिए प्रस्तुति-आदेश निजता में दखल है, जिसे पुट्टस्वामी के अनुपातिकता परीक्षण पर खरा उतरना होगा; न्यायालय ने यह परीक्षण इस पर लागू किया है कि पुलिस किसी प्लेटफॉर्म से समय और प्रकार, दोनों के लिहाज़ से कितना माँग सकती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 94 न्यायालय या थाने के भारसाधक अधिकारी को दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक संचार या उपकरण प्रस्तुत करने का समन जारी करने देती है; यह CrPC की धारा 91 की जगह लेती है। ● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 69 केंद्र या राज्य सरकार (या उसके विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी) के निर्देश पर सूचना के अवरोधन, निगरानी या विसंकेतन की अनुमति देती है; धारा 69A केंद्र सरकार को सार्वजनिक पहुँच रोकने की अनुमति देती है। दोनों कार्यपालिका के आदेश हैं, न्यायिक नहीं। ● के.एस. पुट्टस्वामी (2017): निजता में राज्य के किसी भी दखल का कानूनी आधार, वैध उद्देश्य होना चाहिए और वह उस उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● BNSS की धारा 94 के तहत प्रस्तुति-आदेश (Section 94 BNSS production orders) · निजता में दखल के लिए अनुपातिकता परीक्षण (Proportionality test for privacy intrusion) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

1.3 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने OBC रिपोर्ट लंबित रहने पर भी उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा पंचायती राज और स्थानीय लोकतंत्र (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी अनुच्छेद 243D(6) और 243T(6) राज्यों को 2021 के गवली त्रि-स्तरीय परीक्षण (triple test) के तहत स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने देते हैं; 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसके BC कोटे रद्द कर दिए और छह सप्ताह में चुनाव कराने का आदेश दिया।

समाचार (THE NEWS) प्रयागराज। 14 अक्टूबर को न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के भीतर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए और इसी अवधि में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करे, तथा अगली सूचीबद्धता से पहले कार्यक्रम अभिलेख पर रखे। याचिकाकर्ता दशरथ यादव ने ज़िला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समयबद्ध कार्यक्रम माँगा था। राज्य का तर्क था कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक उसका OBC आयोग आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता; वह रिपोर्ट अब भी लंबित है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच त्रि-स्तरीय चुनाव कराने की योजना बनाई थी (LiveLaw, 30 अप्रैल)। विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2, ‘स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ’। मुख्य परीक्षा का कोण: अनुभवजन्य जाँच के आधार पर OBC कोटा तय करने के राज्य के कर्तव्य और पंचायत का पाँच वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने देने पर लगी रोक के बीच का तनाव।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 243E पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष तय करता है और अपेक्षा करता है कि चुनाव उस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले पूरा हो जाए। ● अनुच्छेद 243K पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है; अनुच्छेद 243D(6) पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए एक समर्थकारी प्रावधान है। ● त्रि-स्तरीय परीक्षण (विकास किशनराव गवली, 2021, जो के. कृष्ण मूर्ति, 2010 पर आधारित है): समर्पित आयोग द्वारा अनुभवजन्य जाँच, उसके निष्कर्षों के आधार पर स्थानीय निकाय-वार कोटा, और SC, ST तथा OBC का कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के लिए त्रि-स्तरीय परीक्षण (Triple test for OBC reservation in local bodies) · समय पर चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग का कर्तव्य (State Election Commission's duty to hold timely polls) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की दोनों खबरें इस सवाल पर टिकी हैं कि भारत को कौन खरीदता है और भारत किससे खरीदता है। एक कनाडाई होल्डिंग कंपनी उस बैंक का नियंत्रण लेने जा रही है जिसे राज्य ने 1964 में खड़ा किया था, और वह भी RBI के उन नियमों के तहत जो इसलिए लिखे गए कि कोई मालिक बैंक को बंधक न बना सके। गैस बाज़ार में होर्मुज़ की नाकाबंदी ने भारत की आपूर्तिकर्ता-सूची नए सिरे से लिख दी है; क्रतर से खाली हुई जगह ओमान और नाइजीरिया भर रहे हैं। दोनों मामलों में प्रश्न एक ही है: विविधीकरण से सुरक्षा कैसे मिले, और उसकी कीमत क्या हो।

2.1 मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी ₹52,878 करोड़ में फेयरफैक्स को बेचने को मंजूरी दी

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: करोड़ों जमाकर्ताओं वाला और सरकारी मूल का एक बैंक हाथ बदल रहा है; इसकी होना ज़रूरी है। 1 अक्टूबर को RBI ने म्यूचुअल फ़ंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फ़ंड को कुल मिलाकर 10% तक हिस्सेदारी रखने की छूट दी।

मुद्दा भारत के बैंकों का स्वामित्व किसके पास (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य · स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी किसी भारतीय बैंक में 5% या उससे अधिक हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की पूर्व मंजूरी और 'फिट एंड प्रॉपर' मालिक होना ज़रूरी है। 1 अक्टूबर को RBI ने म्यूचुअल फ़ंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फ़ंड को कुल मिलाकर 10% तक हिस्सेदारी रखने की छूट दी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बुधवार को टोरंटो स्थित फेयरफैक्स फ़ाइनेंशियल होल्डिंग्स (प्रेम वत्स) को IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी ₹52,878 करोड़ में खरीदार चुना; सौदा मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार 30.48% और LIC 30.24% बेच रहे हैं, यानी सरकार के पास 15% और LIC के पास 19% बचेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे "विनिवेश नहीं, पुनर्गठन" बताया। फेयरफैक्स ने ₹81 प्रति शेयर की बोली लगाई, जबकि 18 मई को 'सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव बोलियाँ' (best offer bids) आमंत्रित किए जाने से पहले के अंतिम कारोबारी दिन भाव ₹70.38 था। उसे तीन साल तक बैंक का नाम बनाए रखना होगा, पाँच साल तक अपनी पूँजी लॉक-इन रखनी होगी, RBI द्वारा तय क्रमिक-कटौती मार्ग (glide path) पर 15 वर्षों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26% पर लानी होगी, और दो वर्षों के भीतर CSB बैंक का विलय करना या उससे बाहर निकलना होगा, जिसमें उसकी 40% हिस्सेदारी है। यूनियनों का कहना है कि कीमत कम आँकी गई है।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

1. IDBI निजी बैंक कैसे बना — संसद ने 1964 में IDBI की स्थापना इसलिए की थी कि वह कारखानों को दीर्घकालिक ऋण दे सके, जब कोई वाणिज्यिक बैंक ऐसा नहीं कर रहा था; 2004 में यह एक सामान्य बैंक बन गया। डूबे हुए ऋणों के कारण 2017 में यह RBI के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action) दाँच में आ गया; 2019 में LIC ने इसका बहुमत खरीदा और RBI ने इसे निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया।

2. सरकार बेच क्यों रही है — 2021 की सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति चार रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों की न्यूनतम संख्या ही रखती है और बाकी को बेचती है; 2021-22 के बजट में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का वादा किया गया था। बिक्री से मिला धन गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति (non-debt capital receipt) है।

3. RBI के स्वामित्व-नियम किसकी रक्षा करते हैं — बैंक जमाकर्ताओं का पैसा उधार देता है, इसलिए यह तय करना RBI का काम है कि बैंक का मालिक कौन हो सकता है। 2020 के आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group) द्वारा समीक्षित उसके नियमों के अनुसार प्रवर्तक को पाँच साल तक कम से कम 40% हिस्सेदारी रखनी होती है, ताकि वह बैंक को बेचकर निकल न जाए, और फिर 15 वर्षों में 26% पर आना होता है, ताकि कोई उसे पारिवारिक कारोबार की तरह न चलाए।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- रणनीतिक विनिवेश (Strategic disinvestment) — प्रबंधन-नियंत्रण के साथ सरकारी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा बेचना, केवल कुछ शेयर बेचना नहीं।
- प्रवर्तक का क्रमिक-कटौती मार्ग (Promoter glide path) — वह समय-सारणी जिसके भीतर बैंक के नियंत्रक मालिक को अपनी हिस्सेदारी RBI की सीमा तक घटानी होती है।
- फिट एंड प्रॉपर कसौटी (Fit-and-proper test) — बैंक का मालिक बनने के इच्छुक व्यक्ति की ईमानदारी, वित्तीय मज़बूती और धन के स्रोत की RBI द्वारा की जाने वाली जाँच।
- लॉक-इन अवधि (Lock-in period) — वे वर्ष जिनमें खरीदार अपने खरीदे शेयर बेच नहीं सकता; यहाँ पाँच वर्ष।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

डूबे ऋणों से IDBI त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) में (2017) → LIC को बहुमत, बैंक निजी श्रेणी में (2019) → CCEA ने रणनीतिक बिक्री मंज़ूर की (2021) → आरक्षित मूल्य पर बोली विफल; सर्वश्रेष्ठ-प्रस्ताव बोलियाँ (2026) → फेयरफैक्स ₹81 पर विजयी → RBI की फिट एंड प्रॉपर समीक्षा और क्रमिक-कटौती मार्ग तय करेंगे नियंत्रण

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act) की धारा 12B RBI को द्वारपाल बनाती है — RBI की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी के 5% या उससे अधिक शेयर या मताधिकार नहीं ले सकता, और उसका फिट एंड प्रॉपर होना ज़रूरी है; धारा 12B(4) और RBI के 2023 के निर्देश उसे अनुमति के साथ शर्तें जोड़ने की शक्ति देते हैं, जैसे पाँच साल का लॉक-इन और हिस्सेदारी घटाने की समय-सारणी। 2. IDBI का कानून और राष्ट्रीयकरण अधिनियम — औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 [Industrial Development Bank (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2003] ने 1964 की इस वैधानिक संस्था को कंपनी और बैंक में बदल दिया (1 अक्टूबर 2004 से), इसलिए इस बिक्री के रास्ते में कोई राष्ट्रीयकरण कानून नहीं आया। राष्ट्रीयकृत बैंक 1970 और 1980 के बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियमों के अधीन हैं, जिनकी धारा 3(2B) केंद्र की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक रखती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या सार्वजनिक मूल के किसी बैंक को विदेशी रणनीतिक निवेशक को बेचना जमाकर्ताओं के रक्षोपायों को कमज़ोर किए बिना संसाधन जुटाता है? — GS3 के पाठ्यक्रम में “संसाधनों को जुटाना” और “अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव” शामिल हैं। आयाम: राजकोषीय पक्ष, RBI की स्वामित्व-व्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मिसाल।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12B के अंतर्गत किसी बैंकिंग कंपनी के 5% या उससे अधिक शेयर या मताधिकार प्राप्त करने के लिए RBI की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ● निजी बैंकों के स्वामित्व पर RBI के आंतरिक कार्य समूह (2020, अध्यक्ष पी.के. मोहंती) ने दीर्घकालिक (15 वर्ष) प्रवर्तक सीमा को 15% से बढ़ाकर 26% करने की सिफ़ारिश की, और पहले पाँच वर्षों के लिए प्रवर्तक की 40% न्यूनतम हिस्सेदारी बनाए रखने को कहा। ● विनिवेश से प्राप्त धन गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं; CCEA की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद रणनीतिक बिक्री का संचालन वित्त मंत्रालय का DIPAM करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. क्रीमत विफल आरक्षित मूल्य से नीचे है, पर इसका बचाव आँकड़ा नहीं, प्रक्रिया करती है — सरकारी वक्तव्य के अनुसार ₹94.42 के आरक्षित मूल्य पर वित्त वर्ष 26 में कोई स्वीकार्य बोली नहीं आई, इसलिए मुहरबंद सर्वश्रेष्ठ-प्रस्ताव बोलियाँ आमंत्रित की गईं; उचित मूल्य का मानदंड ₹75.99 था, जो बाज़ार-गुणक और परिसंपत्ति मूल्यांकन का औसत है, और ₹81 उसे पार कर गया। यूनियन बुधवार के बंद भाव ₹90.39 का हवाला देती हैं; पर वह भाव अटकलों के कारण एक दिन में 9% चढ़ा था, और नियंत्रण-मूल्य को अप्रभावित भाव ₹70.38 पर परखा जाता है, जिससे यह बोली 15% ऊपर है। 2. लेंस — बाज़ार: विदेशी मालिक पूँजी लाता है, पर जमाकर्ताओं का भरोसा नियामक के हाथ में है, मालिक के हाथ में नहीं — बैंक एक वादा है कि लंबी अवधि के लिए उधार दिए गए धन से जमा माँगने पर लौटाई जाएगी। इस वादे को विश्वसनीय बनाते हैं पर्यवेक्षण, जमा बीमा और प्रबंधन को बदलने की शक्ति, मालिक का पासपोर्ट नहीं; फिट एंड प्रॉपर समीक्षा, लॉक-इन, और एक प्रवर्तक को दो बैंक चलाने से रोकने की RBI का इनकार, जिससे CSB पर निर्णय लेना पड़ेगा, यही उसके औज़ार हैं। ईमानदार प्रतिपक्ष यह है कि अपने देश में संकट झेल रही विदेशी मूल कंपनी अपने भारतीय बैंक को पूँजी से वंचित कर सकती है; इसी कारण IWG ने जल्दी निकासी नहीं, लंबा क्रमिक-कटौती मार्ग चाहा था। 3. IDBI पद्धति की मिसाल है, कठिन सार्वजनिक बैंक निजीकरणों की नहीं — RBI की बही में IDBI पहले से निजी था, इसलिए किसी राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन नहीं करना पड़ा; 2021 में वादा किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अब भी संसद को 1970 और 1980 के अधिनियम बदलने होंगे। यह भी दिखता है कि साफ़-सुथरी प्रक्रिया में पाँच साल लग जाते हैं। दूसरा मत यह है कि राजकोषीय ज़रूरत अगली प्रक्रिया को छोटा करेगी; वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने अख़बार से कहा “हम रुक नहीं सकते”, क्योंकि उर्वरक सब्सिडी का 60% अगस्त तक खर्च हो चुका है। ज़रूरत से जल्दबाज़ी समझ आती है; वह प्रक्रिया का विकल्प नहीं बनती।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: सरकार: ₹52,878 करोड़ से प्राप्तियाँ वित्त वर्ष 27 के ₹80,000 करोड़ के लक्ष्य को पार कर जाती हैं। ● + पक्ष में: नियामक: पाँच साल के लॉक-इन में बँधा और घटकर 26% पर आने वाला फिट एंड प्रॉपर मालिक प्रतिबद्ध तो रहता है, पर हावी नहीं होता। ● – विपक्ष में: यूनियन: ₹81 बुधवार के बंद भाव ₹90.39 और सरकार के अपने ₹94.42 के आरक्षित मूल्य, दोनों से नीचे है। ● – विपक्ष में: जमाकर्ता: विदेशी होल्डिंग कंपनी पहले अपने शेयरधारकों के प्रति

	जवाबदेह होती है; संकट में भारतीय बैंक को बेचना उसके लिए आसान होता है।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. सौदा पूरा होने से पहले क्रमिक-कटौती मार्ग और CSB का निपटारा हो — सरकारी वक्तव्य में अपेक्षित समापन रोडमैप में RBI और फेयरफैक्स को दोनों बातें तय कर देनी चाहिए। 2. पूर्णता के बाद मूल्यांकन सार्वजनिक किया जाए — DIPAM को मूल्यांकन रिपोर्ट वित्त पर स्थायी समिति के समक्ष रखनी चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या IDBI बैंक को विदेशी रणनीतिक निवेशक को बेचना जमाकर्ताओं की रक्षा करने वाले रक्षोपायों को कमजोर किए बिना संसाधन-संग्रहण को आगे बढ़ाता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — दोनों पक्षों पर तंत्र को सामने रखें और परखें कि क्या वे आपस में टकराते हैं। 2. भूमिका — RBI के द्वार के नीचे नियंत्रण की बित्री — नमूना: फेयरफैक्स द्वारा IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी ₹52,878 करोड़ में खरीदने की CCEA की मंजूरी 2021 में शुरू हुई बित्री को पूरा करती है और यह परखती है कि क्या RBI के स्वामित्व-नियम भारत के वित्तीय क्षेत्र के सबसे बड़े FDI को संभाल सकते हैं। 3. मुख्य भाग — प्राप्ति वास्तविक भी है और समयानुकूल भी — गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति; वित्त वर्ष 27 का ₹80,000 करोड़ का लक्ष्य पूरा। मूल्य-वर्धन: उर्वरक सब्सिडी का 60% अगस्त तक खर्च। 4. मुख्य भाग — रक्षोपाय विक्रेता के पास नहीं, RBI के पास हैं — धारा 12B, फिट एंड प्रॉपर समीक्षा, लॉक-इन, क्रमिक-कटौती मार्ग, CSB पर निर्णय; आरक्षित मूल्य ₹94.42 विफल रहा, ₹81 अप्रभावित भाव ₹70.38 से 15% ऊपर है। प्रवाह-चित्र: CCEA मंजूरी → DIPAM बोलियों → RBI की फिट एंड प्रॉपर जाँच → समापन → लॉक-इन → 26%। 5. मुख्य भाग — मिसाल पद्धति की है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की नहीं — 1970 और 1980 के अधिनियमों में संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ी; वादा किए गए सार्वजनिक बैंकों की बित्री में पड़ेगी। 6. निष्कर्ष — मालिक बदलता है, द्वारपाल नहीं — नमूना: नियामक के रूप में मैं क्रमिक-कटौती मार्ग और CSB पर निर्णय को समापन की शर्त बनाऊँगा, ताकि जमाकर्ताओं को प्रतिबद्ध मालिक मिले, हावी होने वाला नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. DIPAM के सचिव के रूप में, वित्त पर स्थायी समिति के सामने आपसे पूछा जाता है कि ₹94.42 का आरक्षित मूल्य विफल होने के बाद ₹81 क्यों स्वीकार किया गया। आप क्या कहेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मेरे विकल्प हैं: भारत के वित्तीय क्षेत्र के सबसे बड़े FDI की सुर्खी के सहारे आँकड़ों का बचाव करें, समापन तक कीमत पर चर्चा से इनकार कर दें, या पद्धति पूरी तरह समझाऊँ। पहला रास्ता अगले सवाल को न्योता देता है, दूसरा छिपाव जैसा दिखता है। मैं समझाऊँगा: ₹94.42 पर कोई स्वीकार्य बोली नहीं आई, ₹75.99 का मानदंड दो मूल्यांकन-पद्धतियों का औसत था, और ₹81 अप्रभावित भाव से 15% ऊपर है। मैं आरक्षित मूल्य का इतिहास और बोलीदाताओं की संख्या समिति के पटल पर रखूँगा, और बताऊँगा कि कौन-से रक्षोपाय करार में हैं और कौन-से RBI के पास। हितधारक: जमाकर्ता, कर्मचारी, LIC के पॉलिसीधारक, करदाता। निर्णायक मूल्य प्रक्रिया की पारदर्शिता है: जिस कीमत का बचाव उसकी पद्धति करती है वह टिकती है; जिसका बचाव उसका आकार करता है, वह नहीं।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — मूल्यांकन-पद्धति, विफल आरक्षित मूल्य और बोलीदाताओं की संख्या को पहले से समझकर समिति कक्ष में जाना, ताकि किसी उत्तर के लिए पीछे से पर्ची न बढ़ानी पड़े।

2.2 यूरोप के अमेरिकी खेप खरीद लेने से ओमान और नाइजीरिया अमेरिका को पछाड़कर भारत के शीर्ष LNG आपूर्तिकर्ता बने

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा पश्चिम एशिया युद्ध और भारत की ऊर्जा सुरक्षा (कड़ी 10) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी: होर्मुज़ में मार्च से नाकाबंदी है; पंप के दाम जमे होने से तेल कंपनियों को रोज़ लगभग ₹530 करोड़ का नुकसान हुआ, और 2 अक्टूबर को G7 ने IEA के ज़रिए 10 करोड़ बैरल जारी करने पर सहमति दी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। द इंडियन एक्सप्रेस ने केप्लर (Kpler) के जहाज़-ट्रैकिंग आँकड़ों के हवाले से बताया कि सितंबर में भारत की LNG आपूर्तिकर्ता-सूची में फेरबदल हुआ। ओमान और नाइजीरिया शीर्ष पर रहे और हाल के महीनों में सबसे

बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा अमेरिका तीसरे स्थान पर खिसक गया, क्योंकि यूरोपीय आयातकों ने सर्दी से पहले अमेरिकी खेपें खरीद लीं। अमेरिकी मात्रा मासिक आधार पर 60.7% गिरकर 0.34 मिलियन टन रह गई; ओमान 11.6% बढ़कर 0.59 पर पहुँचा; क्रतर साल भर पहले की तुलना में 88.5% नीचे था। मई-सितंबर में आयात 17.8% बढ़कर 11.87 मिलियन टन हुआ; अमेरिका ने 28.7%, ओमान ने लगभग पाँचवाँ हिस्सा, नाइजीरिया ने 18.5%, UAE ने 9.3% और क्रतर ने 3.4% आपूर्ति की, जो 90.2% की गिरावट है। भारत अपनी गैस ज़रूरत का लगभग आधा LNG से पूरा करता है; युद्ध से पहले उसका लगभग 60% होमुंज़ से आता था, जबकि ओमान का निर्यात इस जलडमरूमध्य पर निर्भर नहीं है।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 के पाठ्यक्रम में “अवसंरचना: ऊर्जा” शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए: आपूर्ति का भूगोल, चोक पॉइंट के रूप में होमुंज़, पेट्रोनेट-क्रतर अनुबंध। मुख्य परीक्षा के लिए: विविधीकरण, मार्ग बंद होते ही दीर्घकालिक अनुबंध कारगर क्यों नहीं रहा, और उर्वरक व बिजली चालू रखने के लिए हाज़िर क्रीमते चुकाना।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● पेट्रोनेट LNG का क्रतर के साथ 1999 का अनुबंध प्रति वर्ष लगभग 7.5 मिलियन टन आपूर्ति करता है, जो भारत के LNG आयात का करीब 35% है, और फ़रवरी 2024 में 2028-2048 के लिए नवीकृत हुआ (पेट्रोनेट LNG के अनुसार)। ● पेट्रोनेट LNG 1998 में GAIL, ONGC, IOCL और BPCL के 12.5%-12.5% हिस्से के साथ निगमित हुई थी; राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा में गैस का हिस्सा 15% करना है। ● भारत के आधिकारिक गैस आयात आँकड़े पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन PPAC प्रकाशित करता है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● दीर्घकालिक LNG अनुबंध बनाम हाज़िर खेपें (Long-term LNG contracts versus spot cargoes) · ऊर्जा विविधीकरण और चोक पॉइंट जोखिम (Energy diversification and chokepoint risk) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

आज दो तरह के किसान हैं। एक महाराष्ट्र का वह काश्तकार, जिसकी खरीफ़ फ़सल विफल मानसून में चौपट हो गई और जिसे दिवाली से पहले ₹5,000 मिलेंगे, क्योंकि केंद्र की सूखा-तंत्र की प्रक्रिया समय पर भुगतान नहीं कर सकती। दूसरे हैं वायनाड के वे एक व्यक्ति, जिन्होंने तीन एकड़ में धान की 55 ऐसी किस्में बचाए रखीं जिन्हें बीज-बाज़ार ने खारिज कर दिया था। राहत किसान को एक मौसम तक चलाए रखती है; किसानों के सहेजे बीज खेती को सदियों तक चलाए रखते हैं।

3.1 महाराष्ट्र दिवाली से पहले 1.45 करोड़ तक किसानों को ₹5,000 देगा; 358 में से 305 तहसीलों में सूखा

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: जिस किसान ने उधार के पैसे से बुआई की और खरीफ़ गँवा दी, उसे ₹5,000 मिलेंगे; यह रकम उसे समय पर पहुँचती है या नहीं, और भुगतान कौन करता है, यही आपदा शासन का प्रश्न है।

मुद्दा सूखा और रबी मौसम की तैयारी (कड़ी 8) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य · विकास और समता

अब तक की कहानी महाराष्ट्र ने 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया था, आंध्र प्रदेश ने 688 में से 388 मंडलों में, कर्नाटक ने 240 में से 217 तालुकों में, और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से ₹11,000 करोड़ माँगे गए थे।

समाचार (THE NEWS) मुंबई, 14 अक्टूबर। महाराष्ट्र की 358 तहसीलों में से 305 में सूखा घोषित होने के बाद, जिनमें बुधवार को 40 और जोड़ी गई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की कि राज्य दिवाली से पहले अनुमानित 1.25 से 1.45 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ₹5,000 प्रति किसान डालेगा, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार। लागत: ₹6,000–7,000 करोड़; पात्रता अभी अंतिम नहीं है। राज्य इसे लंबित केंद्रीय पैकेज के एवज़ में अग्रिम मानता है: फडणवीस के शब्दों में केंद्र के “नियम, चरण और तिथियाँ” दिवाली से पहले पूरे नहीं हो सकते, इसलिए राज्य दिसंबर में होने वाले सामान्य भुगतान की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मानसून समय से पहले लौट गया और मराठवाड़ा टेकरों के भरोसे है। अखिल भारतीय किसान सभा ने इसे “क्रूर मज़ाक” कहा: पहले के अग्रिम ही अंतिम पैकेज बन गए थे। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाद अपने अधिकांश क्षेत्र में सूखा घोषित करने वाला यह इस महीने का तीसरा राज्य है।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

- 1. सूखा कैसे घोषित होता है** — सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016 (Manual for Drought Management) के अनुसार राज्य पहले ट्रिगर 1 जाँचता है, यानी लंबे सूखे दौर के साथ वर्षा में कमी, फिर ट्रिगर 2, यानी प्रभाव के चार संकेतों में से तीन: बोया गया क्षेत्र, उपग्रह से दिखने वाली हरियाली, मिट्टी की नमी और जल स्तर। 33% या उससे अधिक फ़सल हानि पर सूखा माना जाता है; 50% से ऊपर वह गंभीर होता है।
- 2. भुगतान कौन करता है, कितना** — राहत पहले राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से आती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों धन डालते हैं। यह मुआवज़ा नहीं, अगली बुआई के लिए इनपुट सब्सिडी है: 2022 के मानदंडों में वर्षा-आधारित भूमि पर ₹8,500 प्रति हेक्टेयर और सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि पर ₹17,000, एक किसान के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर तक। केंद्र का NDRF केवल गंभीर सूखे में धन जोड़ता है।
- 3. एक समान ₹5,000 अलग क्यों है** — प्रति हेक्टेयर राहत के लिए भूमि अभिलेख और फ़सल-कटाई प्रयोग चाहिए। एक समान रकम के लिए केवल किसानों की सूची और बैंक खाते चाहिए, जो PM-KISAN के पास हैं; इसलिए भुगतान हफ़्तों में हो जाता है और दो एकड़ वाले व बीस एकड़ वाले किसान को एक जैसा मिलता है।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 के तहत बना राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund)।
- इनपुट सब्सिडी (Input subsidy) — फ़सल के नुकसान के बाद अगली बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर दी जाने वाली राहत।
- सूखा नियमावली 2016 का ट्रिगर (Drought Manual 2016 trigger) — वर्षा-विचलन या मिट्टी की नमी जैसा मापा जा सकने वाला संकेत, जिसे घोषणा से पहले एक सीमा पार करनी होती है।
- फ़सल-कटाई प्रयोग (Crop-cutting experiment) — निशान लगाए गए नमूना खेत की फ़सल काटकर वास्तविक उपज मापना; नुकसान के अनुमान का आधार यही है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मानसून समय से पहले लौटा → राज्य नियमावली के ट्रिगर लागू करता है; 305 तहसीलों में घोषणा → केंद्रीय पैकेज के लिए ज्ञापन, केंद्रीय दल और समिति चाहिए → राज्य अग्रिम के रूप में एक समान ₹5,000 देता है → केंद्र का पैसा बाद में आता है और समायोजित होता है → दिवाली पर किसान के हाथ में नकद; निष्पक्षता की बात बाद में

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध

- 1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 दोनों कोष बनाता है** — धारा 46 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया

(STATIC SYLLABUS LINKAGE)	कोष और धारा 48 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन करती है। केंद्र SDRF में सामान्य राज्यों के लिए 75:25 और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में धन डालता है, जिसे 15वें और 16वें वित्त आयोग ने बनाए रखा; NDRF से धन जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति चाहिए। 2. सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016 प्रक्रिया तय करती है — इसमें दो ट्रिगर, मध्यम और गंभीर श्रेणियाँ, खरीफ़ के लिए 30 अक्टूबर और रबी के लिए 31 मार्च की समय-सीमाएँ, और ज्ञापन व केंद्रीय दल के दौर के बाद केवल गंभीर सूखे में NDRF की सहायता तय है। 75% से अधिक सिंचाई होने पर राज्य अपनी श्रेणी एक पायदान नीचे कर सकता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या केंद्र के प्रति हेक्टेयर मानदंडों पर बाद में होने वाले भुगतान से बेहतर है राज्य द्वारा पहले दी गई एक समान नकद राहत? — GS3 में “आपदा और आपदा प्रबंधन” शामिल है; GS2 में “संघीय ढाँचे से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ, शक्तियाँ और वित्त का हस्तांतरण”। आयाम: गति बनाम निष्पक्षता, वित्त पोषण का क्रम, राहत बनाम सूखा-रोधन।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 और 48 के तहत गठित हैं। ● सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016 में ट्रिगर 1 वर्षा-विचलन है और ट्रिगर 2 बोए गए क्षेत्र, वनस्पति सूचकांक, मिट्टी की नमी और जल-विज्ञान में से कोई भी तीन। ● सूखे के लिए NDRF की सहायता केवल गंभीर श्रेणी में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल की रिपोर्ट के बाद मिलती है; कृषि के अपर सचिव केंद्रीय सूखा राहत आयुक्त होते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. एक समान ₹5,000 गति खरीदता है, निष्पक्षता छोड़कर; अधिक ज़मीन वाले किसान को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है — जो राहत नुकसान के हिसाब से बदलती है, उसके लिए पहले फ़सल-कटाई और भूमि अभिलेखों से नुकसान मापना पड़ता है, जिसमें दिसंबर तक का समय लगता है; एक समान रकम में माप की यह प्रक्रिया छूट जाती है। इसकी कीमत मानदंडों में दिखती है: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दो हेक्टेयर वाले वर्षा-आधारित किसान को SDRF के पैमाने पर ₹17,000 मिलने चाहिए, जबकि अभी ₹5,000 मिल रहे हैं, और किसान सभा को डर है कि अग्रिम ही अंतिम भुगतान बन जाएगा। प्रतिपक्ष: अधिकतर किसान छोटे हैं, और उन्हें पैमाने के लगभग बराबर रकम दो महीने पहले मिल जाती है। गति तभी न्यायसंगत है जब शेष राशि चुकाई जाए। 2. लेंस — संघीय: राज्य पहले इसलिए देता है क्योंकि केंद्र बाद में तय करता है — नियमावली का क्रम, यानी घोषणा, ज्ञापन, केंद्रीय दल, समिति, इसलिए बना है कि केंद्र केवल सत्यापित सूखे के लिए भुगतान करे। यही क्रम यह भी तय कर देता है कि NDRF का पैसा दिवाली से पहले किसान तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए राज्य नकद पहले देता है और बाद में उसे समायोजित कर लेता है; कर्नाटक ने NDRF से ₹11,000 करोड़ मांगे हैं और उसे इंतज़ार करना होगा। प्रतिपक्ष: सत्यापन राज्यों को केंद्र का धन खींचने के लिए उदारता से सूखा घोषित करने से रोकता है। इलाज यह है कि हर चरण पर समय-सीमा लगे, चरणों को हटाया न जाए। 3. मराठवाड़ा में हर साल सूखा पड़ने से राहत सबसे महंगा विकल्प बन जाती है; नियमावली यह पहले ही कहती है — राहत हर विफल मौसम में बार-बार देनी पड़ती है; सिंचाई और फ़सल का चुनाव एक बार का खर्च है। नियमावली लचीलेपन को पुरस्कृत करती है: जिस राज्य में 75% से अधिक सिंचाई है, वह अपनी सूखा श्रेणी एक पायदान नीचे कर सकता है। ईमानदार आपत्ति यह है कि जलग्रहण और सूक्ष्म सिंचाई में बरसों लगते हैं, जबकि सूखी फ़सल वाले किसान को नकद अभी चाहिए। लचीलापन अगले मौसम में ही राहत की जगह ले सकता है, और वह भी तब जब उसके लिए धन आज दिया जाए।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: राज्य: केंद्र की प्रक्रिया दिवाली से पहले पूरी नहीं हो सकती; ऋण चुकाने के समय हाथ में पैसा देने के लिए अग्रिम ज़रूरी है। ● + पक्ष में: प्रशासक: बैंक अंतरण से एक समान रकम हफ़्तों में एक करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँच जाती है, और कोई तहसीलदार नुकसान को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखा सकता। ● – विपक्ष में: किसान संगठन: ₹5,000 खरीफ़ के निवेश से बहुत कम है; पहले के अग्रिम ही अंतिम पैकेज बन गए थे। ● – विपक्ष में: समता का पक्ष: एक समान रकम दो एकड़ और बीस एकड़ वाले किसान को बराबर देती है, जबकि प्रति हेक्टेयर मानदंड इसी से बचने के लिए बने हैं।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. केंद्रीय क्रम पर समय-सीमा लगाएँ — केंद्र को नियमावली में केंद्रीय दल के दौर और समिति के निर्णय की समय-सीमाएँ तय करनी चाहिए।

	2. प्रति हेक्टेयर की शेष राशि अपने आप दें — फ़सल-कटाई के बाद राज्य को हर किसान को SDRF के पैमाने की रकम में से ₹5,000 घटाकर शेष देना चाहिए और सूची ग्राम पंचायत में चस्पा करनी चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	केंद्र के निर्णय से पहले राज्य द्वारा दी गई एक समान नकद राहत तेज़ तो है, पर अधिक न्यायसंगत नहीं। महाराष्ट्र के सूखा अग्रिम के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — गति और निष्पक्षता को दोनों पक्षों से तौलिए और अभिकल्प पर निर्णय दीजिए। 2. प्रस्तावना — ऐसे पैकेज के एवज़ में अग्रिम जो अभी आया नहीं — नमूना: सूखाग्रस्त 305 तहसीलों में 1.45 करोड़ तक किसानों को महाराष्ट्र का ₹5,000 राज्य के कोष से दिया गया अग्रिम है, उस केंद्रीय पैकेज के एवज़ में जो दिवाली से पहले नहीं आ सकता। 3. मुख्य भाग — गति वास्तविक है क्योंकि माप की प्रक्रिया छोड़ दी गई है — एक समान रकम के लिए केवल सूची और बैंक खाते चाहिए; प्रति हेक्टेयर राहत के लिए फ़सल-कटाई चाहिए। मूल्य-वर्धन: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर से दो हेक्टेयर वाले वर्षा-आधारित किसान को ₹17,000 मिलते। 4. मुख्य भाग — संघीय क्रम अग्रिम की व्याख्या करता है — प्रवाह-चित्र: ट्रिगर → राज्य की घोषणा → ज्ञापन → केंद्रीय दल → उच्च-स्तरीय समिति → NDRF से धन जारी होना; दिवाली को चिह्नित कीजिए। 5. मुख्य भाग — हर साल की राहत सबसे महंगा अभिकल्प है — नियमावली की 75% सिंचाई की धारा लचीलेपन को पुरस्कृत करती है। 6. उपसंहार — अभी दें, पैमाने से हिसाब चुकाएँ, पैकेज से पानी खरीदें — नमूना: राज्य के रूप में मैं दिवाली तक ₹5,000 दूँगा, फ़सल-कटाई के बाद प्रति हेक्टेयर की शेष राशि चुकाऊँगा, और केंद्रीय पैकेज को सिंचाई में लगाऊँगा ताकि अगले साल राहत की ज़रूरत ही न पड़े।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप मराठवाड़ा के संभागीय आयुक्त हैं और ₹5,000 की लाभार्थी सूची साफ़ करने के लिए आपके पास दस दिन हैं; कलेक्टर PM-KISAN में दोहरे नाम और मृत धारकों की रिपोर्ट दे रहे हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मेरे विकल्प हैं: PM-KISAN की सूची जैसी है वैसी भेज देना और बाद में सुधारना, हर तहसील के प्रमाणन तक अंतरण रोके रखना, या साथ-साथ सफ़ाई करना। सूची कच्ची भेजने पर मृत और दोहरे नामों को भुगतान होगा और सबसे गरीब लोगों को वसूली के नोटिस मिलेंगे; रोके रखने पर दिवाली छूट जाएगी। मैं साथ-साथ सफ़ाई करूँगा: सूची का 7/12 भूमि अभिलेखों और आधार से जुड़े बैंक खातों से मिलान करूँगा, मिले हुए नामों को तुरंत भुगतान दूँगा, न मिले नामों को हर ग्राम पंचायत में तीन दिन के दावों के लिए चस्पा करूँगा, फिर दोबारा मिलान करूँगा, और हर बहिष्करण का कारण तथा अपील का अवसर रखूँगा। हितधारक: किसान, तहसील कर्मचारी, कोषागार और केंद्र। निर्णायक मूल्य: सार्वजनिक धन सही हाथ में समय पर पहुँचे; दोनों शर्त बाँधती हैं।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	सादगी (Austerity) — नामों को भूमि अभिलेखों और बैंक सीडिंग से मिलाने में लगाए दस दिन, ताकि ₹6,000 करोड़ काशतकारों तक पहुँचें, दोहरे नामों तक नहीं; समय भी जनता का धन है।

3.2 चेरुवायल रमन, तीन एकड़ में धान की 55 देसी किस्में बचाने वाले कुरिचिया किसान, 76 वर्ष की आयु में नहीं रहे

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा Seeds, farmers' rights and biodiversity (नया मुद्दा) दृष्टि (Lens) परंपरा और सामाजिक न्याय

समाचार (THE NEWS) तिरुवनंतपुरम, 14 अक्टूबर। वायनाड के कुरिचिया आदिवासी किसान चेरुवायल रमन, जिन्हें 'नेल्ला अच्छन' यानी धान के पिता के नाम से जाना जाता था, का बुधवार को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार। उन्होंने दस वर्ष की आयु में धान के खेतों में काम शुरू किया और कक्षा 5 तक पढ़े। लगभग 2000 में उन्होंने वायनाड भर के खेतों से देसी किस्में जुटानी शुरू कीं; 2016 तक वे अपने तीन एकड़ में हर साल सभी 55 किस्में छोटे-छोटे प्लॉटों में बोने लगे थे, जबकि वैज्ञानिक और सरकारें अधिक उपज वाले संकर बीजों को बढ़ावा दे रही थीं। उन्होंने कभी बीज बेचा नहीं; वे इस शर्त पर बीज बाँटते थे कि किसान फ़सल का एक हिस्सा बीज के रूप में लौटाएँ, और अपना भंडार सौ साल पुराने मिट्टी के घर में बाँस की टोकरियों में रखते थे। उन्हें 2023 में कृषि के लिए पद्मश्री और पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) का राष्ट्रीय पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार मिला।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 में “संरक्षण” और “फसल प्रतिरूप” शामिल हैं; GS1 में जनजातीय समुदाय। प्रारंभिक परीक्षा: PPV&FR अधिनियम, 2001, जो किसानों को प्रजनक और संरक्षक मानता है; और उसके पुरस्कार। मुख्य परीक्षा: संकर बीज की एकरूपता के सामने समुदायों द्वारा कृषि-जैव विविधता का स्व-स्थाने संरक्षण।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act) की धारा 39 किसान को संरक्षित किस्म के बीज को बचाने, प्रयोग करने, बोने, दोबारा बोने, आदान-प्रदान करने, साझा करने या बेचने की अनुमति देती है, बशर्ते उसे ब्रांडेड बीज के रूप में न बेचा जाए। ● राष्ट्रीय पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार (Plant Genome Saviour Farmer Reward) अधिनियम की धारा 39(1)(iii) और 2012 के जीन निधि नियमों के तहत दिया जाता है: प्रत्येक ₹1.5 लाख, साल में अधिकतम दस (PPV&FR प्राधिकरण के अनुसार)। ● पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार (Plant Genome Saviour Community Award) अधिनियम की धारा 45 के तहत दिया जाता है, जो राष्ट्रीय जीन निधि (National Gene Fund) बनाती है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● PPV&FR अधिनियम, 2001 के तहत कृषक अधिकार (Farmers' rights under the PPV&FR Act, 2001) · समुदायों द्वारा कृषि-जैव विविधता का संरक्षण (Agro-biodiversity conservation by communities, in-situ conservation) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

वॉशिंगटन भारत के साथ एक साथ दो काम कर रहा है: उसे चीनी अतिक्षमता के विरुद्ध गठबंधन में खींच रहा है और अपने ही शुल्क-कानून की धमकी के साए में भी रख रहा है। दिल्ली का उत्तर, जो व्यापार वार्ताओं में, रुबियो की आने वाली यात्रा में और कनाडा के साथ संबंध सुधारने की रफ्तार में दिखता है, यह है कि हर दरवाज़ा खुला रखा जाए और ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर न किए जाएँ जो कोई दरवाज़ा बंद कर दे।

4.1 भारत ने अतिरिक्त क्षमता पर अमेरिका के नेतृत्व वाले वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, जबकि उसकी अपनी धारा 301 जाँच का निष्कर्ष नज़दीक है

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला - श्रेणी 1 — भारत पर असर डालने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटना: तिरुपुर या सूरत का हर निर्यातक वही शुल्क चुकाता है जो वॉशिंगटन तय करता है; आज की तीन हलचलें तय करेंगी कि भारत अतिक्षमता के विरुद्ध अमेरिका के साथ खड़ा होगा या जाँच के घेरे में रहेगा।

मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और शुल्क (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी · राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित अब तक की कहानी फ़रवरी 2026 का भारत-अमेरिका ढाँचा अब तक अहस्ताक्षरित है। 5 अक्टूबर को सीतारमण ने वार्ताओं को “गतिरोध” (plateau) कहा; 18 सितंबर का ग्राहम अधिनियम वॉशिंगटन को रूसी तेल खरीदने वालों पर 100% तक कर लगाने देता है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार “गतिरोध” के बाद से तीन बातें आगे बढ़ी हैं। पहली, मिल्वौकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिका ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित 13 अन्य देश व समूह संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता के विरुद्ध “प्रभावी कार्रवाई” करेंगे; 7 अक्टूबर की USTR विज्ञप्ति इन 14 को “नए, समर्पित क्षेत्रीय मंचों” के लिए प्रतिबद्ध करती है। दूसरी, नई दिल्ली द्वारा बलात श्रम से बने माल के आयात पर प्रतिबंध अधिसूचित करने के बाद भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क इस वर्ष के आरंभ में प्रस्तावित 12.5% से घटाकर 10% कर दिया गया। तीसरी, 16 अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध 11 मार्च को शुरू की गई धारा 301 की अतिक्षमता जाँच अपने निष्कर्षों से कुछ ही सप्ताह दूर है; सरकार का कहना है कि चिह्नित क्षेत्रों में भारत की कोई संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नहीं है। समझौता अहस्ताक्षरित है: ग्रीर इसे “अंतिम चरण में, पर तत्काल नहीं” कहते हैं, जयशंकर “एक उतरने का बिंदु” (landing point)।

पहले समझे — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

1. धारा 301 वॉशिंगटन को अपने ही निष्कर्ष पर दंड देने का अधिकार देती है — अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 (Trade Act of 1974) की धारा 301 के तहत व्यापार प्रतिनिधि (USTR) किसी विदेशी प्रथा की जाँच करता है जिसे वह अनुचित या “अयुक्तियुक्त” मानता है, और राष्ट्रपति WTO में गए बिना शुल्कों से जवाब दे सकते हैं। 2026 की जाँच धारा 301(b), यानी विवेकाधीन खंड, का प्रयोग करती है और उसकी समय-सीमा बारह महीने है।
2. अतिरिक्त क्षमता यानी वे कारख़ाने जो दुनिया की खरीद से ज़्यादा उत्पादन के लिए बने हैं — जब कोई देश माँग से अधिक इस्पात, सौर या EV क्षमता जोड़ता जाता है, अक्सर सरकारी सहायता से, तो अधिशेष सस्ते में निर्यात होता है और हर जगह दाम गिरते हैं।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- धारा 301 (Section 301) — अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 का वह प्रावधान जो USTR को अनुचित विदेशी प्रथाओं की जाँच करने और शुल्कों से एकतरफ़ा जवाबी कार्रवाई करने देता है।
- संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता (Structural excess capacity) — ऐसी क्षमता, अक्सर सरकारी सहायता से खड़ी, जो लगातार माँग से अधिक रहती है और सस्ते में निर्यात होकर दूसरी जगह दाम गिराती है।
- सर्वाधिक-तरज़ीही-राष्ट्र (MFN) शुल्क (Most-favoured-nation tariff) — वह दर जो WTO का कोई सदस्य अन्य सभी सदस्यों से एक समान वसूलता है (GATT अनुच्छेद I)।
- बलात श्रम आयात प्रतिबंध (Forced-labour import ban) — बलात श्रम से बने माल पर रोक लगाने वाला नियम; अमेरिका में यह टैरिफ़ अधिनियम 1930 की धारा 307 के अंतर्गत है, और वह साझेदारों से भी ऐसा ही करने को कहता है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

चीन का सस्ता इस्पात, सौर पैनल और EV बाज़ारों में उमड़ते हैं → अमेरिका भारत समेत 16 अर्थव्यवस्थाओं पर धारा 301 जाँच खोलता है → भारत 14 अर्थव्यवस्थाओं के वक्तव्य पर हस्ताक्षर करता है → भारत शुल्क के जाल से बच सकता है → समझौता और ग्राहम अधिनियम खुले रहते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. WTO कानून द्विपक्षीय समझौतों की अनुमति तभी देता है जब वे “अधिकांश व्यापार” को समेटें — GATT अनुच्छेद I हर सदस्य से अपेक्षा करता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ शुल्क सभी सदस्यों को दे (MFN)। अनुच्छेद XXIV उन मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा-शुल्क संघों को

	अपवाद मानता है जो “अधिकांश व्यापार” को शामिल करते हैं। सीमित अंतरिम समझौता इन नियमों से मेल नहीं खाता। 2. G20 एक मंच है, संधि-निकाय नहीं — 1999 में बना और 2008 में नेताओं के शिखर सम्मेलन तक उन्नत हुआ G20 सर्वसम्मति से चलता है; उसका न कोई सचिवालय है, न बाध्यकारी शक्ति। उसके हाशिये पर किया गया वक्तव्य हस्ताक्षरकर्ताओं को केवल राजनीतिक रूप से बांधता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या भारत को अमेरिकी जाँच के दायरे में रहते हुए अतिक्षमता के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होना चाहिए? — GS2 के पाठ्यक्रम में “भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह एवं समझौते” शामिल हैं। तीन आयाम अपेक्षित हैं: WTO कानून बनाम एकतरफ़ा औज़ार, स्वायत्तता, और उत्पादकों का हित।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 USTR को उन विदेशी व्यापार प्रथाओं की जाँच करने और उनके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने देती है जिन्हें वह अयुक्तियुक्त या विभेदकारी पाता है; यह WTO का नहीं, एकतरफ़ा उपचार है। ● GATT अनुच्छेद I सर्वाधिक-तरजीही-राष्ट्र नियम तय करता है; अनुच्छेद XXIV उन मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा-शुल्क संघों को अपवाद मानता है जो अधिकांश व्यापार को समेटते हैं। ● G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और वह सर्वसम्मति से निर्णय लेता है; भारत ने 2023 में और अमेरिका ने 2026 में अध्यक्षता की।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. भारत ने इसलिए हस्ताक्षर किए कि चीनी अतिक्षमता भारतीय इस्पात और सौर उद्योग को उतना ही चोट पहुँचाती है जितना ओहायो को — सस्ते आयात की बाढ़ घरेलू निर्माता को दो बार निचोड़ती है, देश में भी और विदेश में भी। IE के अनुसार चीन पर EV, बैटरी, रसायन, अर्धचालक और सौर पैनलों में अतिक्षमता के आरोप हैं, यानी उन क्षेत्रों में जिन्हें भारत PLI योजनाओं से खड़ा कर रहा है, और सरकार का मत है कि भारत की क्षमता “घरेलू और वैश्विक, दोनों ज़रूरतें पूरी करती है”। दूसरा पक्ष: जाँच में भारत को अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और जिस वक्तव्य में न कोई क्षेत्र नामित है, न कोई उपाय, वह USTR को नहीं बांधता। राहत एक आशा है, कोई निष्कर्ष नहीं। 2. लेंस — स्वायत्तता: वॉशिंगटन के साथ क्षेत्रीय मंच साझेदारी है, गठबंधन नहीं, बशर्ते भारत अपना निकास-मार्ग बनाए रखे — रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है किसी गुट में शामिल होने के बजाय हर संरक्षण को उसकी योग्यता पर चुनना। जयशंकर ने सीमा साफ़ शब्दों में रखी: “रणनीतिक साझेदारी एक साझेदारी है। वह गठबंधन नहीं है।” यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया के साथ हस्ताक्षर करना इस कसौटी पर खरा उतरता है, और चीन के साथ व्यापार संतुलन को लेकर, जिसे उन्होंने “पूरी तरह झुका हुआ” कहा, भारत की अपनी शिकायत भी है। दूसरा पक्ष: GTRI के अजय श्रीवास्तव ध्यान दिलाते हैं कि चीन को रूसी तेल पर शुल्क-विराम मिला, जबकि जुलाई 2025 में भारत पर 25% लगा। स्वायत्तता की माप यह है कि हस्ताक्षर के बाद भी भारत रूसी कच्चा तेल खरीद सकता है या नहीं। 3. खुला समझौता ही है, और एक अधिकारी का तर्क है कि हस्ताक्षर न करना बेहतर सौदा है — फ़रवरी के ढाँचे ने रियायतों के बदले भारत का पारस्परिक शुल्क 25% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव दिया था; अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस व्यवस्था को रद्द कर देने के बाद प्रस्ताव का मूल्य जाता रहा। एक अधिकारी ने IE से कहा कि “कुछ कम शुल्कों के साथ निलंबित अवस्था” “महत्वपूर्ण रियायतों वाले समझौते” से बेहतर है, और 2020 के USMCA के बावजूद कनाडा पर अमेरिकी रोकों का हवाला दिया। दूसरा पक्ष: जूता और वस्त्र निर्यातक बताते हैं कि अमेरिकी खरीदार किसी एक देश से बड़े ऑर्डर देने से इनकार कर रहे हैं। अनिश्चितता की भी क्रीमत होती है, और वह कम मार्जिन वाले छोर पर चुकानी पड़ती है।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: वाणिज्य वार्ताकार: यह वक्तव्य भारत को चीनी अतिरिक्त आपूर्ति के विरुद्ध यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा करता है, जो भारतीय इस्पात को भी चोट पहुँचाती है, और भारत को धारा 301 के जाल से बाहर रख सकता है। ● + पक्ष में: इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा निर्यातक: 10% की दर और छूटें काम कर रही हैं, अगस्त में अमेरिका को निर्यात 21% बढ़कर \$8.3 अरब रहा; समझौता इसे पक्का कर देगा। ● – विपक्ष में: GTRI और ऊर्जा नियोजक: ग्राहम अधिनियम के साए में समझौता अस्थायी राहत के बदले ऊर्जा सुरक्षा की अदला-बदली है; कनाडा दिखाता है कि हस्ताक्षरित पाठ नई रोकों को नहीं रोकता।

	● – विपक्ष में: कृषि और डेयरी लॉबी: “महत्वपूर्ण रियायतें” कृषि पर पड़ेंगी, जिसे भारत हर FTA से बाहर रखता है।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. क्षेत्रीय मंचों में प्रमाण लेकर उतरें — वाणिज्य मंत्रालय को इस्पात, सौर और रसायनों पर DGTR के डंपिंग-रोधी ऑकड़े इन मंचों पर रखने चाहिए, ताकि भारत को अतिक्षमता का पीड़ित माना जाए। 2. व्यापार समझौते को प्रतिबंध-कानून से अलग रखें — वार्ताकारों को लिखित आश्वासन माँगना चाहिए कि शुल्क में राहत रूसी तेल की खरीद पर निर्भर नहीं है, यही चिंता जयशंकर ने रुबियो के सामने उठाई थी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	परीक्षण कीजिए कि भारत स्वयं धारा 301 जाँच का सामना करते हुए संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता पर अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त वक्तव्य में क्यों शामिल हुआ। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — कारण और जोखिम सामने रखें, फिर निर्णय दें। 2. भूमिका — एक हस्ताक्षर, अमेरिकी व्यापार नीति के दो चेहरे — नमूना: 7 अक्टूबर को भारत अतिरिक्त क्षमता पर अमेरिका के नेतृत्व वाले वक्तव्य में 13 अर्थव्यवस्थाओं के साथ शामिल हुआ, जबकि भारत समेत 16 अर्थव्यवस्थाओं की USTR की धारा 301 जाँच अपने निष्कर्षों के निकट है। 3. मुख्य भाग — हित साझा है: चीनी अतिक्षमता भारतीय इस्पात, सौर और EV को भी चोट पहुँचाती है — मूल्य-वर्धन: जाँच के क्षेत्र भारत के PLI क्षेत्रों से मेल खाते हैं। 4. मुख्य भाग — हस्ताक्षर भारत को शुल्क के जाल से निकाल सकता है, पर बाँधता कुछ नहीं — दो स्तंभों वाला प्रवाह-चित्र बनाएँ: ‘धारा 301 जाँच में अभियुक्त’ और ‘वक्तव्य का हस्ताक्षरकर्ता’, जो ‘USTR निष्कर्ष’ पर मिलते हैं। 5. मुख्य भाग — जोखिम ग्राहम अधिनियम के साथ में स्वायत्तता का है — चीन को रूसी तेल पर शुल्क-विराम मिला; जुलाई 2025 में भारत पर 25% लगा (GTRI)। 6. निष्कर्ष — मंच पर हस्ताक्षर करें, दबाव पर नहीं — नमूना: वाणिज्य मंत्रालय के रूप में मैं DGTR के प्रमाणों के साथ क्षेत्रीय मंचों पर काम करूँगा और ऐसे किसी खंड को अस्वीकार करूँगा जो शुल्क में राहत को भारत के ऊर्जा चुनावों से जोड़े।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. संयुक्त सचिव (अमेरिका), वाणिज्य के रूप में, रुबियो की यात्रा से पहले आप मंत्री को जानकारी देते हैं: अंतरिम समझौते पर अभी हस्ताक्षर के लिए जोर दें, या नहीं? दृष्टिकोण (Approach): मेरे विकल्प हैं: धारा 301 के निष्कर्षों से पहले 10% की दर को पक्का करने के लिए अभी हस्ताक्षर करें; “निलंबित अवस्था” में रुका रहें; या सशर्त आगे बढ़ें, यानी प्रतिबंध-प्रश्न सुलझने पर ही हस्ताक्षर करें। अभी हस्ताक्षर का अर्थ है अज्ञात रियायतों के बदले ऐसी दर लेना जिसे अमेरिका कल कानून से बदल सकता है; रुके रहने से जूता और वस्त्र निर्यातक अधर में रहते हैं। मैं सशर्त मार्ग की सिफारिश करूँगा: धारा 301 के जाल से लिखित निकास माँगूँ, DGTR के ऑकड़े रखूँ जो दिखाएँ कि भारत अतिक्षमता का पीड़ित है, और शुल्क में राहत को रूसी तेल की खरीद से स्वतंत्र रखूँ। हितधारक हैं निर्यातक, रिफ़ाइनर, किसान और WTO में भारत की साख। निर्णायक सिद्धांत निश्चितता है: कानूनी टिकाऊपन के बिना कोई दर स्थायी रियायतों के लायक नहीं।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — मंत्री को यह बताने से पहले कि एक दस्तावेज़ दूसरे को निरस्त कर देता है, USTR की 11 मार्च की प्रारंभ-अधिसूचना और मिल्वौकी वक्तव्य को साथ-साथ रखकर पढ़ना।

4.2 रुबियो 20–22 अक्टूबर को भारत आएँगे, रूस प्रतिबंध कानून के बाद उनकी पहली यात्रा

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा अमेरिकी प्रतिबंध कानून और रूसी तेल (कडी 8) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी ट्रंप ने 18 सितंबर को ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जो रूसी ऊर्जा के शीर्ष खरीदारों, भारत समेत, पर 100% तक शुल्क की अनुमति देता है; 9 अक्टूबर को अमेरिका ने स्वयं रूसी डीज़ल के आयात को लाइसेंस दिया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 20–22 अक्टूबर को भारत आएँगे, मुंबई और जामनगर में पड़ाव अपेक्षित हैं, और यात्रा में समरकंद में C5+1 मंत्रिस्तरीय बैठक भी शामिल है। विदेश विभाग ने एजेंडे में “बढ़ा हुआ ऊर्जा सहयोग” गिनाया है। ट्रंप के रूस प्रतिबंध विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद यह उनकी पहली यात्रा है; जयशंकर ने सितंबर में UNGA में उन्हें भारत की चिंताएँ बताई थीं। अलग से, कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद 14 अक्टूबर को मोदी से मिलीं;

प्रधानमंत्री कार्यालय ने CEPA के शीघ्र समापन पर बल दिया, जो “इसी वर्ष” होना है, और आनंद ने कार्नी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित यूरेनियम आपूर्ति समझौते और कनाडाई कानून के तहत बिश्नोई गिरोह को आतंकी इकाई सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

परीक्षा के लिए क्यों जरूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2, “भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह एवं समझौते”। प्रारंभिक परीक्षा ढाँचा पूछती है: C5+1, G20 की अध्यक्षता, CEPA। मुख्य परीक्षा पूछती है कि जो साझेदार एक ही महीने में भारत को शिखर सम्मेलनों में बुलाए और उसके ऊर्जा खरीदारों को धमकाए भी, उसे भारत कैसे सँभाले।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम, 2026 (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act), जिस पर 18 सितंबर को हस्ताक्षर हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी तेल और गैस का बड़ी मात्रा में आयात करने वाले देशों पर 100% तक शुल्क लगाने देता है। ● भारत और कनाडा एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2026 का अंत है। ● C5+1 उज़्बेकिस्तान, कज़ाख़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़ गणराज्य के साथ अमेरिका का संवाद है। ● 21वाँ G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन अमेरिका की मेज़बानी में फ़्लोरिडा में 14-15 दिसंबर 2026 को होगा।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● द्वितीयक प्रतिबंध (Secondary sanctions) : व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

जिस संधि ने ओजोन परत को बचाया था, उससे अब धरती को ठंडा रखने की अपेक्षा की जा रही है, और भारत पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ती है। गरमी बढ़ते मौसम में बिकने वाला हर नया एयर-कंडीशनर समस्या भी है और बाज़ार भी, और किगाली की समय-सारणी भारत को 2028 तक तय करने का समय देती है कि वह इनमें से क्या बनेगा।

5.1 किगाली के 10 वर्ष: भारत को 2028 में HFC पर रोक लगानी होगी और 2047 तक 85% कटौती करनी होगी, जबकि शीतलन की माँग दोगुनी होने को है

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 1 — भारत पर असर डालने वाली अंतरराष्ट्रीय घटना: नागपुर के किसी क्लिनिक का एसी और गाँव तक टीका पहुँचाने वाली शीत-शृंखला (कोल्ड चेन), दोनों HFC पर चलते हैं; यह संधि तय करती है कि इनकी कीमत क्या होगी और धरती कितनी गरम होगी।

मुद्दा HFCs, cooling and the Kigali Amendment (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण · राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) ने ओजोन को नष्ट करने वाली CFC गैसों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया; उनकी जगह HFC आ गई। 2016 के किगाली संशोधन ने HFC को भी प्रोटोकॉल के दायरे में ला दिया; भारत ने 2021 में इसका अनुसमर्थन किया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन 15 अक्टूबर को दस वर्ष का हो रहा है; इंडियन एक्सप्रेस में डरवुड ज़ेल्के और जेरिन ओसो के एक स्तंभ में भारत के सामने खड़े कार्य को रेखांकित किया गया है। जनवरी 2019 से लागू यह संशोधन पक्षकारों को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) की मात्रा चरणबद्ध ढंग से घटाने के लिए बाध्य करता है। ये वे प्रशीतक (रेफ्रिजरेट) हैं जो CFC की जगह आए, पर CO₂ की तुलना में सैकड़ों से हज़ारों गुना ज्यादा तापमान बढ़ाते हैं। भारत ने 2021 में अनुसमर्थन किया था और उसे 2028 में HFC के उत्पादन तथा उपभोग पर रोक (फ्रीज़) लगानी है, 2032 में उस आधार-रेखा (बेसलाइन) से 10% नीचे जाना है और 2047 तक 85% कटौती करनी है। ओजोन सचिवालय के अनुसार इससे सदी के मध्य तक लगभग 0.1°C और 2100 तक अधिकतम 0.5°C तापमान वृद्धि टल सकती है। शीतलन में पहले से भारत की बिजली का दसवें हिस्से से कुछ अधिक खर्च होता है (IEA), और 2035 तक माँग दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के 1 अप्रैल 2026 के ज्ञापन के अनुसार 31 दिसंबर 2027 के बाद HFC की कोई नई उत्पादन क्षमता मंज़ूर नहीं की जाएगी।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

1. ओजोन की संधि अब एक ग्रीनहाउस गैस को क्यों नियंत्रित करती है — 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने CFC को इसलिए हटाया क्योंकि वे ओजोन परत को नष्ट करती थीं। उद्योग ने उनकी जगह HFC अपना लीं, जो ओजोन को तो बरूँष देती हैं, पर गरमी को बहुत ज़ोर से रोककर रखती हैं। 2009 में माइक्रोनेशिया और मॉरीशस ने प्रस्ताव रखा कि प्रोटोकॉल HFC को भी अपने हाथ में ले।
2. तीन समूह, तीन गतियाँ, और सबसे धीमी गति में भारत — विकसित देशों ने 2019 में कटौती शुरू की और 2036 तक 85% पर पहुँचेंगे। चीन सहित विकासशील देशों का समूह 1 2024 में रोक लगा चुका है और 2045 तक 80% कटौती करेगा। समूह 2, यानी पश्चिम और दक्षिण एशिया के दस गरम देश, 2028 में रोक लगाएँगे।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) — एक कृत्रिम प्रशीतक, जो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुँचाता पर ग्लोबल वार्मिंग पर उसका प्रभाव बहुत अधिक है; एसी, फ्रिज और शीत-शृंखला में प्रयुक्त होता है।
- भूमंडलीय तापन क्षमता (Global Warming Potential, GWP) — कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कोई गैस 100 वर्षों में कितनी गरमी रोकती है; HFC की GWP 12 से लगभग 14,000 तक है।
- चरणबद्ध कटौती बनाम चरणबद्ध समाप्ति (Phase-down versus Phase-out) — चरणबद्ध समाप्ति में उपयोग पूरी तरह बंद हो जाता है, जैसा CFC के साथ हुआ; चरणबद्ध कटौती में उपयोग आधार-रेखा के एक छोटे हिस्से तक घटाया जाता है।
- भारत शीतलन कार्य योजना (India Cooling Action Plan, ICAP) — MoEFCC की 2019 की योजना, जिसका लक्ष्य 2037-38 तक शीतलन की माँग, प्रशीतक की माँग और शीतलन में ऊर्जा की खपत घटाना है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गरम होती गर्मियाँ → ज्यादा एसी और शीत-शृंखलाएँ → HFC का रिसाव और कोयला-बिजली बढ़ती है → तापन और बढ़ता है → किगाली 2028 से HFC पर सीमा लगाता है → उद्योग कम GWP वाली गैसों के लिए डिज़ाइन बदलता है → कीमत और वित्त तय करते हैं कि शीतलन किसे मिलेगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS)

1. वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली एक ही विधिक परिवार के सदस्य हैं — वियना अभिसमय (1985) ढाँचा है; मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) उसकी क्रियान्वयन-संधि है; और किगाली

LINKAGE)	(2016, पक्षकारों की 28वीं बैठक) उसमें HFC को जोड़ता है। भारत ने 18 अगस्त 2021 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद किगाली का अनुसमर्थन किया। अनुच्छेद 5 के पक्षकार विकासशील देश हैं जिनकी समय-सारणी बाद की है; बहुपक्षीय कोष (Multilateral Fund, 1991 से) उनकी सहमत वृद्धिशील लागत चुकाता है। 2. भारत इन गैसों का नियमन ODS नियमों और EIA अधिसूचना से करता है — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बने ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 नियंत्रित पदार्थों के उत्पादन, आयात और उपयोग को लाइसेंस के दायरे में रखते हैं। HFC का विनिर्माण EIA अधिसूचना, 2006 की मद 5(f) में आता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या भारत शीतलन को पहुँच से बाहर महँगा किए बिना अपनी किगाली समय-सारणी पूरी कर सकता है? — GS3 में “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” है; GS2 में “महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अभिकरण और मंच” हैं। समय-सारणी और समूह, प्रशीतक के साथ ऊर्जा-दक्षता का संक्रमण, और बहुपक्षीय कोष का वित्त, इन पर प्रश्न की अपेक्षा रखे।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारत अनुच्छेद 5 के समूह 2 का पक्षकार है: 2028 में HFC पर रोक, और 2024–26 के औसत HFC उपयोग तथा 2009–10 के HCFC-22 उपयोग के 65% को जोड़कर बनी आधार-रेखा से 2032 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30% और 2047 में 85% की कटौती। ● भारत शीतलन कार्य योजना (मार्च 2019) का लक्ष्य 2037–38 तक शीतलन की माँग में 20–25%, प्रशीतक की माँग में 25–30% और शीतलन की ऊर्जा खपत में 25–40% की कमी लाना है। ● किगाली के अंतर्गत HFC का नियंत्रण उनके तापन प्रभाव (CO₂-समतुल्य) के आधार पर होता है, ओजोन क्षय क्षमता के आधार पर नहीं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. शीतलन की विडंबना यह है कि भारत की सीमा उन्हीं वर्षों में तय हो रही है जब उसकी माँग सबसे तेज़ बढ़ रही है — हर गरम गर्मी में और मशीनें बिकती हैं, और हर मशीन गैस रिसाती है तथा कोयले की बिजली खपाती है। IEA के अनुसार शीतलन भारत की बिजली का दसवाँ हिस्सा है और 2035 तक दोगुना हो जाएगा; और भारत की आधार-रेखा 2024–26 का औसत है, यानी इसी उछाल के वर्ष। ऊँची आधार-रेखा से 2028 की रोक आसान हो जाती है और 2047 की कटौती कठिन, क्योंकि 85% उसी से नापा जाता है। दूसरा पक्ष: गरम देशों को समय इसी कारण दिया गया था, और 2032 से पहले खरीदे गए उपकरण “2030 के दशक में भी” चल सकते हैं। यह बात रोक के लिए सही है, बाद की कटौतियों के लिए नहीं। 2. लेंस — सस्टेन: संक्रमण अभी वहनीय है जब दक्षता प्रशीतक बदलने का खर्च उठाए — प्रोपेन (R-290) जैसी कम GWP वाली गैस के लिए नए डिज़ाइन की, आग से सुरक्षित मशीन चाहिए, जिसका खर्च किसी को उठाना होगा। UNEP और IEA का आकलन है कि प्रशीतक बदलना और दक्षता सुधारना साथ-साथ किया जाए तो जलवायु-लाभ लगभग दोगुना हो जाता है; उपकरण के जीवनकाल में बचाई गई बिजली इसकी भरपाई करती है। फिर भी दक्षता किगाली का बाध्यकारी दायित्व नहीं है (ओजोन सचिवालय), और बहुपक्षीय कोष ने इसके लिए केवल सीमित गुंजाइश खोली है। दूसरा पक्ष: निष्पादन मानक पहले ही विश्व की ऐसी ऊर्जा खपत के लगभग 89% को ढक चुके हैं (IEA), इसलिए बाज़ार संधि से आगे निकल सकता है। 3. भारत का सौदा वित्त के बदले देर की समय-सारणी थी, और ज्ञापन दिखाता है कि अब उसे लागू किया जा रहा है — भारत किगाली में सबसे धीमे समूह और सहमत वृद्धिशील लागत चुकाने वाले बहुपक्षीय कोष के लिए अड़ा रहा। MoEFCC का 1 अप्रैल 2026 का ज्ञापन उसी सौदे का घरेलू सिरा है: मंज़ूर संयंत्रों को 31 दिसंबर 2027 तक उत्पादन शुरू करना होगा और उसके बाद कोई नई HFC क्षमता मंज़ूर नहीं होगी, ताकि आधार-रेखा को फुलाया न जा सके। उद्योग का दूसरा पक्ष: भारत HFC बनाता है और यदि विकल्प व्यावसायिक होने से पहले यह समय-सीमा लागू हो गई तो वह बाज़ार आयातकों के हाथ जा सकता है; 2021 के मंत्रिमंडल नोट ने इसके बजाय कम GWP वाले विनिर्माण की अपेक्षा की थी।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: ओजोन सचिवालय: यह समय-सारणी 2050 तक 80 गीगाटन से अधिक CO₂-समतुल्य उत्सर्जन टालती है, और भारत की समय-सारणी वित्त सहित सबसे धीमी है। ● + पक्ष में: दक्षता के पैरोकार: प्रशीतक बदलने के साथ दक्षता जोड़ने से ग्रिड पर बोझ घटता है और उपभोक्ताओं का पैसा बचता है। ● – विपक्ष में: उपकरण निर्माता: ज्वलनशील, कम GWP वाली गैसों के लिए डिज़ाइन बदलने से उत्पादन-मात्रा बढ़ने से पहले ही इकाई-लागत बढ़ती है; 2027 की समय-सीमा आयात के पक्ष में जा सकती है। ● – विपक्ष में: वहनीयता के पक्षधर: 45°C में शीतलन स्वास्थ्य की ज़रूरत है, और ऊँची

	कीमतों की सबसे ज्यादा मार क्लिनिकों और गरीबों पर पड़ेगी।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. 2028 की कोटा-पद्धति अभी तय करें और उसे प्रकाशित करें — MoEFCC के ओज़ोन प्रकोष्ठ को, 2021 के मंत्रिमंडल नोट के वादे के अनुसार, ODS नियम, 2000 में संशोधन कर HFC कोटा GWP-भारित हिस्सों के आधार पर आवंटित करना चाहिए, ताकि उत्पादक योजना बनाएँ, जमाखोरी न करें। 2. दक्षता मानकों को प्रशीतक की समय-सारणी से जोड़ें — BEE को किगाली के हर चरण के साथ कमरे के ऐसी की स्टार-रेटिंग कड़ी करनी चाहिए, क्योंकि UNEP-IEA के अनुसार संयुक्त कार्रवाई से लाभ दोगुना हो जाता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	शीतलन की माँग दोगुनी होने के बीच अपनी किगाली संशोधन समय-सारणी पूरी करने में भारत के सामने जो चुनौती है, उसकी चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — चर्चा कीजिए — दायित्व और कठिनाई दोनों रखिए, फिर उनमें समन्वय बिटाइए। 2. भूमिका — संधि दस वर्ष की हुई, और भारत की शीतलन-ज़रूरत दोगुनी हो रही है — नमूना: किगाली के दस वर्ष बाद भारत को 2028 में HFC पर रोक लगानी है और 2047 तक उनमें 85% कटौती करनी है, जबकि 2035 तक उसकी शीतलन माँग दोगुनी हो जाएगी। 3. मुख्य भाग — विडंबना: ज्यादा गरमी, ज्यादा शीतलन, ज्यादा HFC, और तेज़ वृद्धि के वर्षों में तय होती आधार-रेखा — मूल्य-वर्धन: आधार-रेखा = 2024–26 का औसत HFC उपयोग जमा 2009–10 के HCFC-22 उपयोग का 65% (MoEFCC)। 4. मुख्य भाग — समाधान प्रशीतक और दक्षता का साथ-साथ बदलाव है — प्रवाह-आरेख बनाइए: 'शीतलन से तापन' दो शाखाओं में बँटे, 'प्रशीतक का रिसाव' और 'बिजली', और दोनों 'दोहरा लाभ' पर मिलें। 5. मुख्य भाग — सौदा: समूह 2 की देर की समय-सारणी, कोष का वित्त और नए संयंत्रों पर 2027 की समय-सीमा — दक्षता किगाली का दायित्व नहीं है; भारत को उसके लिए स्वयं कानून बनाना होगा। 6. निष्कर्ष — गैस का नियमन कीजिए, मशीन को पुरस्कृत कीजिए — नमूना: MoEFCC के रूप में मैं 2028 से पहले कोटा नियम अधिसूचित करूँगा और BEE के मानक उसके साथ-साथ आगे बढ़ाऊँगा, ताकि स्वच्छतर मशीन चलाने में भी सस्ती हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. संयुक्त सचिव, ओज़ोन प्रकोष्ठ के रूप में आपको भारत के 2028 के HFC कोटा के आवंटन की पद्धति चुननी है। आप कौन-सी पद्धति अपनाएँगे? दृष्टिकोण (Approach): मेरे विकल्प हैं: 2024–26 की आधार-रेखा में ऐतिहासिक हिस्से के अनुसार आवंटन, जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वालों को पुरस्कृत करता है; कोटा की नीलामी, जो छोटे शीत-शृंखला उपयोगकर्ताओं को बाहर कर सकती है; या कम GWP में बदलाव के लिए आरक्षित हिस्से के साथ GWP-भारित हिस्से के अनुसार आवंटन। मैं तीसरा अपनाऊँगा: ऐतिहासिक हिस्सों को इस प्रकार भारित करना कि अधिक GWP वाली गैस के एक टन पर अधिक कोटा लगे, R-290 पर आ चुकी फ़र्मों के लिए सुरक्षित हिस्सा, और एक प्रकाशित रजिस्टर, जिससे जमाखोरी रुके और छोटे उपयोगकर्ताओं को पूर्वानुमेय आपूर्ति मिले। हितधारक हैं उत्पादक, उपकरण निर्माता, अस्पताल और 45°C में उपभोक्ता। निर्णायक सिद्धांत पूर्वानुमेयता है: नियम आधार-रेखा बंद होने से पहले ज्ञात होना चाहिए।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	गुमनामी (Anonymity) — किसी उत्पादक के पैरवी करने से पहले ही कोटा-सूत्र प्रकाशित कर देना, और ऐसी पद्धति ठुकराना जिसमें एक फ़र्म का विस्तार सबकी आधार-रेखा बन जाए।

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

आपकी जेब में रखा फ़ोन उन चिप पर चलता है जो भारत नहीं बनाता। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस सप्ताह कहा कि यह अंतर व्यापार की समस्या नहीं, युद्ध लड़ने की समस्या है: 2047 तक भारत को अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) शृंखला का कोई हिस्सा, सामग्री से शुरू करके, अपने हाथ में लेना होगा, वरना उसे उधार के हथियारों से लड़ना पड़ेगा।

6.1 DRDO: 2047 तक चिप में आत्मनिर्भरता न आई तो भविष्य के संघर्षों में भारत के विफल होने का जोखिम

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा भारत सेमीकंडक्टर मिशन (कडी 7) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी: सेमिकॉन इंडिया तक भारत सेमीकंडक्टर मिशन की बारह में से पाँच परियोजनाएँ चालू हो चुकी थीं; पर निर्माण (फैब्रिकेशन) और उन्नत पैकेजिंग अब भी नदारद हैं। IN-SPACe ने अंतरिक्ष कंपनियों से SCL मोहाली की चिप इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।

समाचार (THE NEWS) बंगलुरु/नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ESTIC) के “सेमीकंडक्टर और अगली पीढ़ी की चिप” सत्र के मंगलवार को हुए पूर्वावलोकन में DRDO के महानिदेशक बी के दास और प्रयोगशाला प्रमुखों ने चेताया कि यदि भारत 2047 तक अपने सेमीकंडक्टर स्वयं डिज़ाइन, निर्मित और तैनात नहीं कर पाया, तो AI, साइबर और अंतरिक्ष शक्ति से संचालित “भविष्य के संघर्षों में विफल” होने का जोखिम है। उनके आँकड़े: भारत वैश्विक AI के लिए प्रयुक्त डेटा का 20 प्रतिशत पैदा करता है पर AI डेटा सेंट्रों का केवल 3 प्रतिशत उसके यहाँ है; दुनिया के चिप-डिज़ाइन कार्यबल का 20 प्रतिशत उसके पास है, फिर भी उसका 90 प्रतिशत चिप उद्योग आयात पर निर्भर है। सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स लेबोरेटरी के निदेशक डॉ. अनेश शर्मा ने कहा कि भारत के पास “फैब्रिकेशन, सामग्री या उत्पादों में कोई विशेषज्ञता नहीं” है; लक्ष्य है 2-नैनोमीटर चिप, वैश्विक शीर्ष दस में कम से कम दो फाउंड्री, और “सामग्री से ही” स्वतंत्रता। प्रारंभिक बौद्धिक संपदा वाले क्षेत्र: क्वांटम कंप्यूटिंग, फ़ोटोनिक परिपथ और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 का “प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास”। कोण शृंखला का है: डिज़ाइन (भारत सशक्त) → फैब्रिकेशन (अनुपस्थित) → सामग्री (आयातित)। मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डिज़ाइन की मज़बूती विनिर्माण की मज़बूती में क्यों नहीं बदली।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारत सेमीकंडक्टर मिशन (मंत्रिमंडल, दिसंबर 2021; ₹76,000 करोड़; MeitY) फैब, डिस्प्ले फैब, यौगिक-अर्धचालक और ATMP (असेंबली, टेस्ट, मार्क, पैक) इकाइयों तथा चिप डिज़ाइन को सहायता देता है। ● SCL मोहाली सरकारी स्वामित्व की इकाई है और भारत की एकमात्र समेकित युक्ति निर्माता (Integrated Device Manufacturer) है, यानी चिप को डिज़ाइन और निर्माण दोनों करती है। ● ESTIC-2026: भारत मंडपम, नई दिल्ली, 27-29 अक्टूबर, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन बारह मंत्रालय; सेमीकंडक्टर सत्र का नेतृत्व DRDO करेगा (PIB, 13 अक्टूबर)।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● सेमीकंडक्टर आपूर्ति-शृंखला पर निर्भरता (Semiconductor supply-chain dependence) · फाउंड्री बनाम फैबलेस (Foundry vs fabless) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

7. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

वर्दी के पीछे की व्यवस्था की दो कहानियाँ एक है वह सायरन जिसे एक टेक्स्ट संदेश चालू कर सकता है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद घबराहट में सायरन खरीद लेने वाले राज्यों को केंद्र का जवाब। दूसरी है मिसाइल-पुर्जों की वह निविदा जो एक रक्षा PSU ने बिना प्रतिस्पर्धा उस कंपनी को दे दी जिसे उसके पूर्व प्रमुख ने खड़ा किया था। दोनों एक ही सवाल पूछती हैं: विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) कौन तय करता है, और जाँच कौन करता है।

7.1 राज्यों के “बिना विनिर्देश” सायरन खरीदने के बाद C-DOT ने टेक्स्ट से चालू होने वाले, भू-परिसीमित हवाई-हमला सायरन का परीक्षण किया

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा Civil defence and warning systems (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय

अब तक की कहानी ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) के बाद गृह मंत्रालय ने 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा की मॉक ड्रिल का आदेश दिया; कई सायरन खामोश पड़ चुके थे। C-DOT की सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली 2 मई 2026 को पूरे देश में शुरू हुई।

समाचार (THE NEWS) मुंबई, 14 अक्टूबर। नागरिकों से घबराने की ज़रूरत न होने का नागरिक नोट जारी होने के बाद 8-9 अक्टूबर को मुंबई के फोर्ट इलाके में पुराने सचिवालय से सायरन बजे। यह “केंद्रीकृत सायरन ट्रिगरिंग” के एक प्रोटोटाइप उपकरण का परीक्षण था, जिसे इससे पहले जैसलमेर (30 सितंबर) और बिहार (6 अक्टूबर) में परखा गया; टीम C-DOT की है, जो दूरसंचार विभाग के अधीन है, और साथ में महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा (गृह मंत्रालय) हैं। उपकरण C-DOT की सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक पर चलता है, जो आपदा-चेतावनियों के लिए 2 मई 2026 को शुरू हुई थी: एक टेक्स्ट संदेश सायरन का स्विच चालू कर देता है, और भू-परिसीमन (जियो-फेंसिंग) सक्रियण को चुने हुए क्षेत्र तक सीमित रखता है। महाराष्ट्र नागरिक सुरक्षा के एक नोट में “वास्तविक समय में, केंद्रीकृत और भू-लक्षित प्रसारण” दर्ज किया गया। मुंबई में ऊँची इमारतें तीसरी मंजिल पर लगे सायरन की आवाज़ रोक देती हैं। उद्देश्य है एक राष्ट्रीय विनिर्देश तय करना, क्योंकि सिंदूर के बाद राज्यों ने “बिना किसी विनिर्देश” के सायरन खरीदे थे।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 का “आपदा और आपदा प्रबंधन” तथा आंतरिक सुरक्षा। कोण यह है: वही सेल-ब्रॉडकास्ट परत बाढ़ और हवाई हमले, दोनों के लिए काम आती है, और घबराहट में की गई खरीद के बाद मानकीकरण एक प्रशासनिक सबक है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- सेल ब्रॉडकास्ट चुने हुए मोबाइल टावर के हर हैंडसेट पर एक साथ एक ही संदेश भेजता है, प्राथमिकता वाले पाँप-अप और तेज़ ध्वनि के साथ; SMS अलग-अलग नंबरों पर जाता है और भीड़ (कंजेशन) से देर हो सकती है (न्यूज़ ऑन AIR, 2 मई 2026)। - C-DOT (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स), 1984 में स्थापित, दूरसंचार विभाग के अधीन दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास संस्था है। - नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (Civil Defence Act, 1968) नागरिक सुरक्षा का विधिक आधार है; महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	- सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली (Cell broadcast alerting) · नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा (Civil defence under the Civil Defence Act, 1968) - इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

7.2 भारत डायनेमिक्स ने 300 मिसाइल साइट की एकल निविदा अपने पूर्व CMD की बनाई फ़र्म को दी

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा Probity in defence procurement (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी BDL ने यही ऑप्टिकल साइट 2024 और 2025 में प्रतिस्पर्धी, केवल सार्वजनिक क्षेत्र की निविदाओं से खरीदी; रक्षा मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने दोनों जीतीं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली/हैदराबाद, 14 अक्टूबर। इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद की रक्षा PSU भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने मई 2026 में “तात्कालिकता” का हवाला देकर टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइलों के लिए 300 ऑप्टिकल साइट की “एकल निविदा”, यानी केवल एक आमंत्रित विक्रेता, एंड्री डिफेंस एडवाइज़री प्रा. लि. को जारी की। एंड्री तकनीकी मूल्यांकन पार कर चुकी है और ₹56.8 करोड़ की बोली लगाई है; वित्तीय मूल्यांकन जारी है (GeM डेटा)। एंड्री मई 2024 में सिद्धार्थ मिश्रा ने, जो मार्च 2019 से मार्च 2023 तक BDL के CMD थे, अपनी पत्नी शंभवी के साथ 50:50 की साझेदारी में बनाई थी; मिश्रा जनवरी 2025 में NCLT कोलकाता के सदस्य (तकनीकी) बनने पर बाहर हो गए, और अब शंभवी के पास 95 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 25 के विवरण में राजस्व ₹44.43 लाख है, कोई संयंत्र नहीं; हैदराबाद में उसका दफ़्तर बंद मिला। निविदा में तात्कालिकता दर्ज किए जाने की बात है पर कारण नहीं दिए गए। मिश्रा, शंभवी, एंड्री और BDL ने जवाब नहीं दिया।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2 का “पारदर्शिता और जवाबदेही” तथा GS4 का “शासन में सत्यनिष्ठा; हितों का टकराव”। कोण यह है: एकल निविदा के नियम वास्तविक आपात स्थितियों के लिए हैं; कसौटी यह है कि दर्ज
--	---

THE EXAM)	कारणों को पढ़ा और चुनौती दी जा सकती है या नहीं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, 1970 में हैदराबाद में स्थापित, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा PSU है जो निर्देशित मिसाइलें बनाती है, जिनमें रूसी लाइसेंस पर कोंकर्स-एम ATGM शामिल है। ● GFR 2017 (सामान्य वित्तीय नियम) एकल निविदा पृच्छताछ की अनुमति तभी देते हैं जब केवल एक निर्माता आपूर्ति कर सके, आपात स्थिति में दर्ज कारणों और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ, या मानकीकृत पुर्जों के लिए (स्टार्टअप इंडिया FAQ)।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● एकल निविदा द्वारा खरीद और उसके सुरक्षा-उपाय (Single-tender procurement and its safeguards) · सार्वजनिक खरीद में हितों का टकराव (Conflict of interest in public procurement) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

8. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — मेज़ पर एकल निविदा: खरीद अधिकारी और सेवानिवृत्त हुआ प्रमुख

परिदृश्य (SCENARIO) आप एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में उप महाप्रबंधक (खरीद) हैं। एक टैंक-रोधी मिसाइल के 300 ऑप्टिकल साइट की एकल निविदा का प्रस्ताव तात्कालिकता प्रमाणपत्र के लिए आपके पास पहुंचता है। इस मद की पिछली दो निविदाएँ प्रतिस्पर्धी थीं और रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी ने जीती थी; इस बार प्रतिस्पर्धा हटाई जा रही है। चुना गया विक्रेता दो साल पहले उपक्रम के पूर्व अध्यक्ष और उनकी पत्नी ने बनाया था; वे अब एक अर्ध-न्यायिक पद पर चले गए हैं और लगभग सारे शेयर पत्नी के पास हैं। फ़र्म की पिछली बैलेंस शीट में परामर्श-आय ₹50 लाख से कम है, कोई संयंत्र और कर्मचारी नहीं हैं; पंजीकृत कार्यालय बंद है। नोट में लिखा है कि सेना का ऑर्डर अत्यावश्यक है और फ़ाइल पर “निदेशक (उत्पादन) से चर्चा हो चुकी है”।

प्रश्न 1. क्या आप तात्कालिकता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे? ऐसा करने से पहले फ़ाइल में क्या दिखना चाहिए?

प्रश्न 2. पूर्व अध्यक्ष आज फ़र्म के कागज़ों में नहीं हैं। क्या फिर भी हितों का टकराव बना हुआ है, और उसे घोषित करना किसका कर्तव्य है?

प्रश्न 3. यदि प्रस्ताव पर दबाव डाला जाए, तो आप लिखित में क्या और किसे देंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- तात्कालिकता सिद्ध किया जाने वाला तथ्य है, इस्तेमाल करने का शब्द नहीं** — सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (General Financial Rules, 2017) के अंतर्गत एकल निविदा पूछताछ तभी मान्य है जब केवल एक निर्माता हो या आवश्यकता आपात हो, और कारण दर्ज हों तथा सक्षम प्राधिकारी उन्हें स्वीकृत करें। फ़ाइल से माँगिए कि वह सेना की आपूर्ति-तिथि दिखाएँ, बताएँ कि खुला मार्ग उसे क्यों पूरा नहीं कर सकता, और यह भी कि बिना संयंत्र की फ़र्म कैसे कर सकती है। उत्तर नहीं, तो प्रमाणपत्र नहीं।
- टकराव संस्था का है, किसी एक हस्ताक्षर का नहीं** — हितों का टकराव किसी नाम के शेयरधारिता से हट जाने पर समाप्त नहीं होता; फ़र्म अध्यक्ष की हैसियत और उपक्रम के आपूर्तिकर्ताओं तक उनकी पहुँच पर खड़ी की गई थी। संबंध को अभिलेख में दर्ज कीजिए, विक्रेता से पिछले और वर्तमान संबंधों का लिखित प्रकटन माँगिए, और लोक उद्यम विभाग (DPE) की एक वर्ष की शीतलन-अवधि (cooling-off) जाँचिए: बोर्ड-स्तर के सेवानिवृत्त CPSE कार्यकारी को एक वर्ष के भीतर निजी रोज़गार के लिए सरकार की अनुमति चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (धाराएँ 7 और 13) बाहरी दीवार है; आपका अभिलेख भीतरी।
- ऑर्डर और प्रक्रिया, दोनों को एक साथ बचाइए** — सेना की ज़रूरत वास्तविक है, इसलिए केवल इनकार मत कीजिए। जानकार निर्माताओं को, पिछली बार के सार्वजनिक क्षेत्र के आपूर्तिकर्ता सहित, छोटी बोली-अवधि और चरणबद्ध आपूर्ति के साथ सीमित निविदा का प्रस्ताव दीजिए। अपना नोट मुख्य सतर्कता अधिकारी और निदेशक (वित्त) को भी भेजिए, ताकि कोई एक मेज़ उसे दबाकर न बैठ सके।
- निष्कर्ष — यह जिस A की परीक्षा लेता है: क्षमता (Ability)** — यहाँ क्षमता का अर्थ है नियम को इतना भली-भाँति जानना कि वास्तविक आपात स्थिति और सुविधाजनक आपात स्थिति में भेद कर सकें, और ऐसा वैध मार्ग बना सकना जो सेना की तिथि भी पूरी करे।

केस 2 — राजभवन की डायरी: राज्यपाल का सचिव और पार्टी-संपर्क का अनुरोध

परिदृश्य (SCENARIO) आप एक राज्य में राज्यपाल के सचिव के पद पर तैनात IAS अधिकारी हैं। नए राज्यपाल, जो उसी दल के पूर्व सांसद हैं जिसकी राज्य और केंद्र दोनों में सरकार है, एक प्रेस साक्षात्कार में कह चुके हैं कि वे अनुसूचित जाति समुदायों में अपने दल के लिए और वोट जुटाने का काम करेंगे। एक सप्ताह बाद राज्यपाल का निजी स्टाफ़ आपके पास दौरे का मसौदा कार्यक्रम लाता है: अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी वाले छह ज़िलों की यात्रा, हर जगह दल की ज़िला इकाई द्वारा आयोजित एक जनसभा, राज्यपाल के साथ यात्रा कर रहे पार्टी पदाधिकारी के लिए राजभवन की गाड़ी और प्रोटोकॉल, और दल के प्रचार-शब्दों में एक राज्य योजना की प्रशंसा करती राजभवन की प्रेस विज्ञप्ति। राज्यपाल ने आपसे सीधे बात नहीं की है; पहली यात्रा चार दिन बाद है।

प्रश्न 1. इस कार्यक्रम के कौन-से हिस्से आप संसाधित कर सकते हैं और कौन-से नहीं? प्रत्येक के लिए नियम बताइए।

प्रश्न 2. राज्यपाल की राजनीति पर टिप्पणी किए बिना आप उन्हें कैसे सलाह देंगे?

प्रश्न 3. यदि कार्यक्रम बिना किसी बदलाव के आगे बढ़े, तो आप क्या करेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- पद को व्यक्ति से अलग कीजिए** — अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेता है; राज्यपाल ज़िलों का दौरा कर सकता है, नागरिकों से मिल सकता है और योजनाओं की समीक्षा कर सकता है। राजभवन जो नहीं कर सकता, वह है अपनी गाड़ी, कर्मचारी, राजचिह्न और प्रेस तंत्र किसी दल की इकाई को उधार देना। ज़िला-दौरों को कलेक्टर की

मेज़बानी वाली सरकारी समीक्षा के रूप में संसाधित कीजिए; पार्टी पदाधिकारी का नाम प्रोटोकॉल सूची से और प्रचार वाले शब्द विज्ञप्ति से हटा दीजिए।

2. **लिखित में सलाह दीजिए, नियमों की भाषा में** — राज्यपाल के सामने एक छोटा नोट रखिए: सरकारिया और पुंछी आयोग चाहते थे कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति से निकटता से जुड़ा न हो; अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 5 अधिकारी के रूप में आपको राजनीति में भाग लेने से रोकता है; राजभवन का बजट जनता का धन है। उसी दौरे का वैध रूप प्रस्तावित कीजिए। साक्षात्कार या दल के बारे में कुछ मत कहिए; आपकी सलाह इस पर है कि राजभवन क्या कर सकता है।
3. **अभिलेख सुरक्षित रखिए, अपना पद भी** — यदि कार्यक्रम पर अड़ा ही जाए, तो फ़ाइल पर अपनी असहमति दर्ज कीजिए और मुख्य सचिव को, जो राज्य की सिविल सेवा के प्रमुख और कैडर अधिकारी के रूप में आपकी रिपोर्टिंग-कड़ी हैं, सूचित कीजिए। न बात लीक कीजिए, न पहले ही दिन त्यागपत्र दीजिए; जो अधिकारी चला जाता है, उसकी जगह ऐसा अधिकारी आता है जो आपत्ति नहीं करेगा। स्थानांतरण तभी माँगिए जब आपको वह लिखने पर मजबूर किया जाए जिसे आप लिखित में अस्वीकार कर चुके हैं।
4. **निष्कर्ष** — यह जिस A की परीक्षा लेता है: **गुमनामी (Anonymity)** — गुमनामी का अर्थ है कि सचिव दोनों ओर अदृश्य रहे: प्रेस को कोई उद्धरण नहीं, कोई दलगत फ़रमाइश नहीं, केवल एक फ़ाइल जो दिखाए कि संवैधानिक पद को निष्कलंक रखा गया।

9. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस — 15 अक्टूबर	अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (International Day of Rural Women) 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी विश्व खाद्य दिवस से एक दिन पहले; 2026 का विषय है “ग्रामीण महिला किसान, प्रकृति माँ की देखभाल में”। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि श्रम-बल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 40% है; पर कृषि भूमि का मात्र लगभग 15% उनके स्वामित्व में है, और संसाधनों तक बराबर पहुँच मिले तो खेतों की उपज 20–30% बढ़ सकती है (संयुक्त राष्ट्र, un.org/observances)। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में निर्धारित किया था और पहली बार 2008 में मनाया गया।
IRCTC का वैकल्पिक यात्रा बीमा — वह योजना जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ाया है	IRCTC का वैकल्पिक यात्रा बीमा 1 सितंबर 2016 को केवल ई-टिकटों के लिए एक प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू हुआ था: प्रति यात्री प्रति यात्रा ₹0.49 का प्रीमियम (अक्टूबर 2018 से), और वास्तविक प्रस्थान से वास्तविक आगमन तक की अवधि के लिए मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ₹10 लाख, स्थायी आंशिक विकलांगता पर अधिकतम ₹7.5 लाख, अस्पताल में भर्ती होने पर ₹2 लाख और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए ₹10,000 का कवर। इसके बाद सरकार ने इसे काउंटर टिकटों तक बढ़ाने से इनकार कर दिया (लोकसभा अंतरांकित प्रश्न 690, 6 फरवरी 2019, रेल मंत्रालय)। सर्वोच्च न्यायालय का 6 अक्टूबर 2026 का आदेश 27 अक्टूबर 2026 से काउंटर टिकटों पर बीमा अनिवार्य करता है (आज का कार्ड)।
सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016 — सूखा घोषित करने के संकेतक	सूखा राज्य घोषित करता है, केंद्र नहीं। संकेतक-1 (अनिवार्य) वर्षा में विचलन या मानकीकृत वर्षण सूचकांक (Standardised Precipitation Index) के साथ शुष्क अवधि है; संकेतक-2 के लिए चार प्रभाव-सूचकों में से कोई तीन चाहिए — बोया गया क्षेत्र, सुदूर संवेदन (NDVI/VCI), मृदा आर्द्रता और जल-विज्ञान (धारा-प्रवाह, जलाशय-भंडारण, भूजल)। तीनों सूचक गंभीर हों तो सूखा “गंभीर” और दो गंभीर हों तो “मध्यम” माना जाता है; 33% या अधिक फसल-हानि पर राहत की पात्रता बनती है। खरीफ का सूखा 30 अक्टूबर तक और रबी का 31 मार्च तक घोषित करना होता है; राहत पहले राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से मिलती है, और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से केवल गंभीर सूखे में, राज्य का ज्ञापन आने और अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल के दौर के बाद (सूखा प्रबंधन नियमावली, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, दिसंबर 2016)।
अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 — ‘संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता’ की जाँच	धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को यह अधिकार देती है कि वह विदेशी व्यवहारों को अनुचित मानने पर बिना किसी विश्व व्यापार संगठन (WTO) के निर्णय के उनकी जाँच कर कार्रवाई करे। 11 मार्च 2026 को USTR ने भारत, जापान, यूरोपीय संघ, कोरिया, ताइवान, वियतनाम और बांग्लादेश सहित 16 अर्थव्यवस्थाओं में “संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता” की धारा 301(b) के तहत जाँच शुरू की, जिसकी वैधानिक सीमा 12 माह है। 7 अक्टूबर 2026 को OECD व्यापार समिति के हाशिये पर और मिलवाँकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद भारत, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित 14 अर्थव्यवस्थाओं ने अमेरिका के साथ संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, जिसमें क्षेत्रवार मंचों के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता पर “प्रभावी कार्रवाई” का वचन दिया गया है (USTR प्रेस विज्ञप्ति, 7 अक्टूबर 2026)।
RBI का बैंक स्वामित्व पर आंतरिक कार्य समूह (2020) — IDBI की शर्तों के पीछे के आँकड़े	निजी बैंकों के स्वामित्व एवं कॉर्पोरेट ढाँचे पर RBI के आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group) ने, जिसके अध्यक्ष पी.के. मोहंती थे, 20 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके मुख्य आँकड़े: पहले पाँच वर्ष (लॉक-इन) के लिए प्रवर्तकों के पास चुकता मताधिकार-इक्विटी का कम से कम 40% रहने का मौजूदा नियम बना रहता है; दीर्घकालिक (15 वर्ष) में प्रवर्तकों की सीमा 15% से बढ़ाकर 26% की जाती है; गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों की सीमा 15% रखी गई है; नए सार्वभौमिक बैंक के लिए ₹1,000 करोड़ की और लघु वित्त बैंक के लिए ₹300 करोड़ की पूँजी चाहिए; जहाँ प्रवर्तक की अन्य समूह इकाइयाँ हों, वहाँ गैर-संचालक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (Non-Operative Financial Holding Company) पसंदीदा ढाँचा बनी रहती है (RBI, आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट, नवंबर 2020)। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12B के अंतर्गत किसी बैंक के 5% या अधिक का अधिग्रहण करने के लिए RBI की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
पेट्रोनेट LNG और क्रतर — वह अनुबंध जिस पर भारत के गैस आयात टिके हैं	पेट्रोनेट LNG (Petronet LNG) 1998 में निगमित हुई, जिसमें GAIL, ONGC, IOCL और BPCL की 12.5% हिस्सेदारी प्रत्येक की है। उसने क्रतर के साथ जुलाई 1999 में क्रय-विक्रय समझौते (Sale and Purchase Agreement) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत लगभग 75 लाख टन प्रतिवर्ष गैस गुजरात के दहेज तक पहुँचाई जाती है; इस अनुबंध का 6 फरवरी 2024 को 2028–2048 के लिए डिलीवर्ड आधार पर नवीकरण हुआ और यह भारत के LNG आयात का लगभग 35% है। पेट्रोनेट दहेज (17.5 से 22.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक विस्तार) और कोच्चि (5 MTPA) टर्मिनल चलाती है; भारत का घोषित लक्ष्य 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 15% करना है (पेट्रोनेट LNG प्रेस विज्ञप्ति, 6 फरवरी 2024)। सितंबर में आपूर्तिकर्ता का क्रतर से हटना आज का अर्थव्यवस्था कार्ड है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली — 2 मई 2026 को शुरू	आपदा चेतावनी के लिए भारत की सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली (Cell Broadcast System) 2 मई 2026 को संचार मंत्री द्वारा देशभर में शुरू और परीक्षित की गई। दूरसंचार विभाग के अंतर्गत C-DOT ने इसे NDMA और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर विकसित किया है; यह चुने हुए सेल टावर या समूह से जुड़े हर फोन पर तेज़, विशिष्ट ध्वनि के साथ प्राथमिकता वाला पॉप-अप अलर्ट कई भाषाओं में भेजती है, और समर्थित हैंडसेट पर संदेश पढ़कर सुनाया भी जाता है — जबकि SMS नंबर-दर-नंबर भेजा जाता है (न्यूज़ ऑन AIR, संचार मंत्रालय, 2 मई 2026)। 1984 में स्थापित C-DOT दूरसंचार विभाग का दूरसंचार अनुसंधान केंद्र है; उसके सायरन-ट्रिगर परीक्षण आज का आंतरिक सुरक्षा कार्ड है।
OBC आरक्षण के लिए स्थानीय निकायों में 'तिहरी जाँच' (Triple Test)	इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उत्तर प्रदेश को तीन माह के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश (आज का कार्ड) तिहरी जाँच पर टिका है, जो 8 अक्टूबर को ओडिशा के संदर्भ में त्वरित तथ्य थी। Vikas Kishanrao Gawali v. State of Maharashtra (4 मार्च 2021; न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के लिए आवश्यक है: (1) एक समर्पित आयोग स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की समसामयिक, कठोर प्रयोगसिद्ध जाँच करे; (2) उसके निष्कर्षों के आधार पर आरक्षण का अनुपात स्थानीय निकाय-वार तय हो; और (3) SC, ST और OBC का कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो। यह जाँच K. Krishna Murthy v. Union of India (2010) पर आधारित है, जिसमें संविधान पीठ ने अनुच्छेद 243D(6) और 243T(6) को अनिवार्य नहीं, बल्कि समर्थकारी प्रावधान माना था।
पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार — PPV&FR प्राधिकरण	पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार (Plant Genome Saviour Farmer Reward) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act) की धारा 39(1)(iii) के अंतर्गत, जीन कोष से मान्यता एवं पुरस्कार नियम, 2012 के साथ पढ़कर, दिया जाता है: एक प्रशस्ति-पत्र, एक स्मृति-चिह्न और ₹1.5 लाख, प्रति वर्ष अधिकतम दस किसानों को जो स्थानीय किस्मों (लैंडरेस) या जंगली संबंधियों का संरक्षण करते हैं, जो पंजीकरण योग्य किस्मों के लिए जीन-दाता के रूप में प्रयुक्त होती हैं; पुरस्कृत किसान अपने बीज प्राधिकरण में जमा कराते हैं। पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार अधिनियम की धारा 45 से निकलता है (PPV&FR प्राधिकरण, plantaauthority.gov.in)। वायनाड के चेरुवयल रमन, जिन्हें 55 धान किस्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, आज का कृषि कार्ड है।
लद्दाख की पाँच परियोजनाएँ — शिंकुन ला होकर निम्न-पदुम-दारचा सड़क	प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग ₹3,350 करोड़ की पाँच लद्दाख परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं: लेह के कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डे का नया टर्मिनल, जो भूतापीय ऊर्जा से गर्म और ठंडा होता है; सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा ज़ांस्कर घाटी और शिंकुन ला होकर बनाई गई 298 किमी लंबी निम्न-पदुम-दारचा सड़क, जो श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह मार्गों के बाद लद्दाख में प्रवेश का तीसरा गलियारा है; 9 मेगावाट की हनु लघु जल-विद्युत परियोजना और दाह-हनु-खलत्सी पारंपरिक लाइन; लेह के सिंधु घाट पर शैल-चित्र (पेट्रोग्लिफ़) संरक्षण पार्क, जिसे भारत का पहला शैल-कला पार्क बताया गया है; और 'हिम सरोवर', यानी मिशन अमृत सरोवर के तहत 40 गाँवों में 40 जलाशय (PIB, प्रधानमंत्री कार्यालय, 14 अक्टूबर 2026)। शिंकुन ला (BRO के अनुसार 16,558 फुट, लगभग 5,050 मीटर) ज़ांस्कर को हिमाचल प्रदेश के लाहौल से अलग करता है; इसके नीचे BRO की 4.1 किमी लंबी जुड़वाँ-नलिका सुरंग इस गलियारे को सभी मौसमों में चालू रखने योग्य बनाएगी।
SE2000 — ISRO का अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन पूर्ण प्रणोद पर	5 सितंबर 2026 को ISRO ने तमिलनाडु के महेन्द्रगिरि स्थित ISRO प्रणोदन परिसर में अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का नौवाँ हॉट टेस्ट किया — 100% प्रणोद (200 टन) पर पहला परीक्षण, जो 35 सेकंड के परीक्षण में 5 सेकंड तक बना रहा; इससे पहले 47%, 60% और 88% पर परीक्षण हो चुके थे। SE2000 केरोसीन और द्रव ऑक्सीजन जलाने वाला 2,000 kN श्रेणी का इंजन है; इस पर आधारित SC120 चरण LVM3 के L110 कोर चरण की जगह लेगा और उन्नत C32 ऊपरी चरण के साथ उसकी पेलोड क्षमता बढ़ाएगा (ISRO, isro.gov.in , 5 सितंबर 2026)।
EOS-06 (ओशनसैट-3) — कक्षा से अल नीनो पर नज़र	EOS-06 (Oceansat-3) पर लगे ओशन कलर मॉनिटर और प्रकीर्णनमापी (स्कैटरोमीटर) के 2023-26 के अप्रैल-जून के आँकड़े दिखाते हैं कि जून 2026 में भूमध्यरेखीय प्रशांत में सतही क्लोरोफिल-a 2024 और 2025 के ENSO-तटस्थ जनों की तुलना में घटा; हवाएँ पूर्वी से पश्चिमी हो गईं और अपवेलिंग कमज़ोर पड़ी, तथा अधिक क्लोरोफिल वाला क्षेत्र पश्चिम की ओर सिकुड़ गया (ISRO/राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, 10 सितंबर 2026)। अपवेलिंग पोषक तत्वों को सतह पर लाती है; उसका कमज़ोर पड़ना अल नीनो का प्रारंभिक संकेत है, जिसके बारे में 9 अक्टूबर के WMO कार्ड में कहा गया था कि वह 2027 तक रहेगा।
स्व-वित्तपोषित संस्थान — पाठ्यक्रम के बीच शुल्क नहीं बदला जा सकता	सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर को निर्णय दिया कि स्व-वित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शुल्क पाठ्यक्रम के बीच में नहीं बदला जा सकता: "इस न्यायालय के निर्णयों, AICTE विनियमों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और निश्चितता के सिद्धांतों में परिकल्पित" विनियामक व्यवस्था के अनुसार प्राधिकारियों को प्रवेश से पहले पूरे पाठ्यक्रम का शुल्क अधिसूचित करना होगा; पाठ्यक्रम के दौरान बदलाव केवल असाधारण मामलों में, जैसे खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि पर, मान्य है (द इंडियन एक्सप्रेस, पृ. 14)। गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के शुल्क-विनियमन का आधार T.M.A. Pai Foundation (2002), Islamic Academy (2003) और P.A. Inamdar (2005) हैं।
श्रृंगेरी मतगणना का 'खोया' वीडियो — निर्वाचन अभिलेखों की अभिरक्षा	न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने निर्वाचन आयोग से कहा कि यदि 2023 की श्रृंगेरी (कनाटक) मतगणना का वीडियो, जिसके खो जाने की बात कही जा रही है, पेश नहीं किया गया तो वह "प्रतिकूल निष्कर्ष" निकालेगी: "ECI यह कैसे कह सकता है कि उसने अपना अभिलेख खो दिया?"

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	यह सीट 201 मतों से जीती गई थी; कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल को डाक मतपत्रों की पुनर्गणना और अस्वीकृत 279 मतपत्रों के पुनः सत्यापन का आदेश दिया, जिसके बाद 3 मई 2026 को परिणाम पलट गया — इस परिणाम पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है; अगली सुनवाई 15 फरवरी 2027 को है (द इंडियन एक्सप्रेस, पृ. 15)। चुनाव याचिकाएँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act) के भाग VI के अंतर्गत दायर होती हैं; निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 92-94 निर्वाचन-कागजातों की अभिरक्षा, प्रस्तुति और निपटान को नियंत्रित करते हैं।
दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 — मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना	दिल्ली मंत्रिमंडल ने 13 अक्टूबर को दस वर्षीय औद्योगिक नीति को मंजूरी दी, जिसमें 2026-27 से 2030-31 तक मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के लिए ₹1,000 करोड़ रखे गए हैं। दस प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: IT, वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र, स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान एवं विकास, शहरी लॉजिस्टिक्स, चक्रीय अर्थव्यवस्था, परिशुद्ध विनिर्माण, कौशल विकास और MSME का प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण; महिला-नेतृत्व वाली फर्मों को प्रोत्साहन की ऊँची सीमा मिलती है; 'इन्वेस्ट दिल्ली' एकल संपर्क बिंदु है और दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल इंटरफ़ेस (द इंडियन एक्सप्रेस, पृ. 9)। उद्योग राज्य सूची का विषय है (सूची II, प्रविष्टि 24), सिवाय उनके जिन्हें संसद लोकहित में घोषित करे (सूची I, प्रविष्टि 52)।
सरकार दवाओं की कीमत कैसे तय करती है — अनुसूचित और गैर-अनुसूचित	औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 [Drugs (Prices Control) Order] के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) केवल 'अनुसूचित' दवाओं की, यानी राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची की दवाओं की, अधिकतम कीमत तय करता है — कम से कम 1% बाज़ार हिस्सेदारी वाले ब्रांडों की साधारण औसत कीमत पर। 'गैर-अनुसूचित' दवाओं पर एकमात्र नियंत्रण यह है कि MRP साल में 10% से अधिक न बढ़े; महँगी कैसर दवाओं पर 30% व्यापार-मार्जिन की सीमा (9 अक्टूबर को कार्ड में) इसी दूसरी श्रेणी पर लागू होती है। DPCO का पैरा 19 सरकार को लोकहित में किसी भी दवा की कीमत तय करने देता है (द इंडियन एक्सप्रेस, पृ. 6, एक्सप्लेन्ड)।
राज्यपाल की शपथ — अनुच्छेद 159	ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल ब्रज मोहन राम, जो राज्य के 28वें राज्यपाल हैं, ने PTI से कहा कि वे अपनी पूर्व पार्टी के लिए अनुसूचित जातियों के बीच, जो ओडिशा की जनसंख्या का लगभग 17% हैं, "और वोट सुनिश्चित करने" के लिए काम करेंगे; BJD और कांग्रेस ने इसे संवैधानिक पद के साथ असंगत बताया (द इंडियन एक्सप्रेस, पृ. 14; नियुक्तियाँ 13 अक्टूबर को त्वरित तथ्य थीं)। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष "संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण" करने तथा राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में स्वयं को लगाने की शपथ लेता है। सरकारिया आयोग (1988) चाहता था कि राज्यपाल ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों जो राज्य की स्थानीय राजनीति से अत्यंत घनिष्ठ रूप से जुड़े न हों।
चेहरा पहचान प्रणाली और DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 17	चेहरा पहचान प्रणाली (Facial Recognition) चेहरे को संख्यात्मक 'एम्बेडिंग' में बदलकर उसे डेटाबेस से मिलाती है; पहचाने जा सकने वाले व्यक्तियों की छवियाँ और टेम्पलेट डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act) के अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा हैं। किंतु धारा 17 कई दायित्वों से छूट देती है जब डेटा का प्रसंस्करण किसी अपराध की रोकथाम, पहचान, अन्वेषण या अभियोजन के लिए हो, और केंद्र सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था जैसे आधारों पर पुलिस बलों सहित अधिसूचित राज्य निकायों को छूट दे सकता है; पुलिस द्वारा चेहरा पहचान के उपयोग का कोई समर्पित ढाँचा नहीं है (द इंडियन एक्सप्रेस, पृ. 6, एक्सप्लेन्ड)। पुट्टस्वामी निर्णय (2017) के अनुसार निजता में कोई भी दखल विधिसम्मत, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए।
पत्थर-क्रशर की अवस्थिति और सिलिकोसिस — भरतपुर, राजस्थान	भरतपुर के भोंडा गाँव में एक पूर्व विधायक की उसके पत्थर-क्रशर पर हुई पीट-पीटकर हत्या के पीछे चारागाह भूमि को लेकर 12 वर्ष पुराना विवाद है, जिसे क्रशर के यातायात ने बाधित कर रखा था। पास के घाटरी गाँव में 2015 में गठित पाँच सदस्यीय सरकारी समिति ने पाया कि अधिकांश क्रशर बस्तियों से 500 मीटर के भीतर चल रहे थे, जबकि उसके अनुसार खनन कार्यों के लिए न्यूनतम 1,500 मीटर की दूरी निर्धारित है; ग्रामीण सिलिकोसिस और धूल से लदी फ़सलों की शिकायत करते हैं (द इंडियन एक्सप्रेस, पृ. 21, जैसा छपा)। सिलिकोसिस साँस के साथ अंदर गई क्रिस्टलीय सिलिका से होने वाला फेफड़ों का रोग है और एक अधिसूचित रोग है; गाँव की साझा भूमि को Jagpal Singh v. State of Punjab (2011) में संरक्षण मिला।
नासिक का क्रोमियम — स्वास्थ्य जाँच में क्या मिला	13 अक्टूबर के BIS सीमा वाले त्वरित तथ्य के बाद नई बात: नासिक के अंबड औद्योगिक क्षेत्र के दत्तनगर में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अपने नमूने में षट्संयोजी क्रोमियम (हेक्सावैलेंट क्रोमियम) लगभग 45 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला (0.05 मिग्रा की सीमा का लगभग 900 गुना); बोर्ड ने 17 इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयाँ बंद कर दी हैं, आठ बोरवेल बंद हैं, भूजल के उपयोग पर रोक है और टैंकों से पानी दिया जा रहा है। नगर निगम के शिबिरों में जाँचे गए 248 निवासियों में से 109 में त्वचा संबंधी समस्याएँ मिलीं, जिनमें 'क्रोम होल' और सूजी हुई लसीका ग्रंथियाँ शामिल हैं; रक्त और मूत्र की जाँच 17 अक्टूबर को होगी (डाउन टू अर्थ, 14 अक्टूबर 2026)। षट्संयोजी क्रोमियम मनुष्यों के लिए ग्रुप 1 का कैंसरकारी पदार्थ है (IARC)।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) — 15 अक्टूबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरका तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

10. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

10.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1 (15 अंक, 250 शब्द)

काउंटर पर खरीदे गए रेल टिकटों पर बीमा संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दर्शाता है कि न्यायिक निगरानी ने उस रिक्ति को भरा जिसे कार्यपालिका ने खुला छोड़ दिया था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

भूमिका — 1 सितंबर 2016 से IRCTC के ई-टिकट पर 49 पैसे में ₹10 लाख का बीमा मिल सकता था; खिड़की पर नक़द देने वाले यात्री के पास कोई कवर नहीं था। 6 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2026 से हर काउंटर टिकट पर कवर का आदेश दिया, चूक पर रेलवे बोर्ड जवाबदेह।

- डिज़ाइन का चुनाव, विधिक बाधा नहीं —** नाम, नामांकित व्यक्ति और SMS नंबर की ज़रूरत के कारण योजना स्क्रीन के लिए बनी। 2019 के लोकसभा उत्तर में काउंटर टिकटों के लिए कोई योजना नहीं दिखी; न्यायालय ने नोट किया कि छूटे लोग आर्थिक रूप से वंचित थे।
- दिए गए आश्वासन को लागू कराना —** 11 मई को केंद्र ने पीठ को बताया कि निर्णय हो चुका है; अक्टूबर तक वह कामज़ों में ही रहा, सुरक्षा का बजट अव्ययित। तारीख और नामित निकाय वाला सतत परमादेश प्रवर्तन है, नीति-निर्माण नहीं।
- अतिक्रमण की आपत्ति अन्यत्र बलवती है —** कवच की प्राथमिकताएँ, हर वर्ष लगभग एक-तिहाई चूकने वाले बाड़बंदी लक्ष्य और बोर्ड की क्षमता कार्यपालिका के निर्णय हैं, जिन्हें कोई पीठ तय नहीं कर सकती; पहले से तय और लागत-आकलित बीमा इसका सबसे कमज़ोर आधार है।
- बीमा वैधानिक दायित्व का पूरक है —** रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 बिना-दोष दायित्व थोपती है, पर दावा अधिकरण में प्रमाण देना पड़ता है और वर्षों लगते हैं; पॉलिसी टिकट को प्रमाण मानकर जल्दी भुगतान करती है।

निष्कर्ष — आगे की राह: टिकट नंबर से जुड़ी समूह पॉलिसी, जिसमें खिड़की पर पंजीकरण न करना पड़े, और 16 नवंबर तक कवच, बाड़बंदी और ऊपरी पुलों पर मद-वार शपथ-पत्र। न्यायालय ने रिक्ति भरी; अब बोर्ड कार्रवाई करे, ताकि न्यायालय को दोबारा न करना पड़े।

यह बनाइए: पहले बिंदु के पास प्रवाह-चित्र: ऑनलाइन → पॉलिसी → शीघ्र भुगतान; काउंटर → कोई कवर नहीं → दुर्घटना → दावा अधिकरण (वर्षों); दिखाइए कि 6 अक्टूबर का आदेश कहाँ जुड़ता है।

(229 शब्द)

10.2 GS1 कोना — भूगोल: ज़ांस्कर: निम्न-पदुम-दारचा सड़क के पीछे की घाटी

आज का संदर्भ: त्वरित तथ्य (PIB, 14 अक्टूबर): लद्दाख की पाँच परियोजनाएँ

- दो पर्वत-श्रेणियों के बीच की घाटी —** ज़ांस्कर, लद्दाख के कारगिल ज़िले में, महान हिमालय (दक्षिण) और ज़ांस्कर श्रेणी (उत्तर) के बीच है। इसकी सहायक नदियाँ मुख्य नगर पदुम के पास मिलती हैं; फिर नदी ज़ांस्कर श्रेणी को काटकर गॉर्ज बनाती हुई निम्न के पास सिंधु में मिलती है।
- घाटी कब खुली रहेगी, यह दरें तय करते हैं —** पेंसी ला पदुम को सुरु घाटी और कारगिल से जोड़ता है; शिंकुन ला (16,558 फुट/लगभग 5,050 मीटर, BRO) महान हिमालय पार कर हिमाचल प्रदेश के लाहौल में दारचा पहुँचाता है। बर्फ़ दोनों को महीनों बंद रखती है; ज़मी हुई गॉर्ज, यानी 'चादर', सर्दियों का पारंपरिक रास्ता थी।
- लद्दाख में प्रवेश का तीसरा गलियारा —** 298 किमी लंबी निम्न-पदुम-दारचा सड़क (BRO) श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह में जुड़ती है; शिंकुन ला के नीचे प्रस्तावित 4.1 किमी लंबी जुड़वाँ-नलिका सुरंग इसे सभी मौसमों में चालू रखेगी, जो दोनों पुराने गलियारों सर्दियों में नहीं रहते।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- ज़ांस्कर नदी → ज़ांस्कर श्रेणी को काटने के बाद लेह के पश्चिम में निम्न के पास सिंधु में।
- शिंकुन ला: ज़ांस्कर (लद्दाख)-लाहौल (हिमाचल प्रदेश); पेंसी ला: ज़ांस्कर-सुरु घाटी-कारगिल।
- निम्न-पदुम-दारचा (298 किमी, BRO): श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह के बाद लद्दाख में प्रवेश का तीसरा सड़क-गलियारा।

10.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
शिंकुन ला (निम्न-पदुम-दारचा)	महान हिमालय का दर्रा, लाहौल (हिमाचल प्रदेश)-ज़ांस्कर (लद्दाख), निम्न (सिंधु) →	आज समर्पित लद्दाख की पाँच परियोजनाओं (लगभग ₹3,350	BRO के अनुसार ऊँचाई 16,558 फुट; 298 किमी के सर्व-मौसम

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
सड़क)	पदुम → दारचा (मनाली-लेह राजमार्ग) सड़क पर।	करोड़) में से एक (त्वरित तथ्य; PIB 14 अक्टूबर)।	गलियारे के लिए 4.1 किमी लंबी जुड़वाँ-नलिका सुरंग प्रस्तावित।
वायनाड (Wayanad)	उत्तरी केरल का पहाड़ी ज़िला, पश्चिमी घाट के पठार पर, कर्नाटक और तमिलनाडु से सटा; कावेरी की पूर्वगामी सहायक नदी कबिनी का उद्गम।	कुरिचिया किसान चेरुवयल रमन का घर, जिन्होंने 55 धान किस्मों को जीवित रखा (3.2)।	इसका वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरि जैव मंडल रिज़र्व में है, जिससे बांदीपुर, नागरहोल और मुदुमले सटे हैं।
किगाली (Kigali)	रवांडा की राजधानी, पूर्वी अफ्रीका के महान झील क्षेत्र का स्थल-रुद्ध देश; पड़ोसी युगांडा, तंज़ानिया, बुरुंडी, DR कांगो; पश्चिम में किबू झील।	किगाली संशोधन, जो यहीं MOP-28 में 15 अक्टूबर 2016 को अपनाया गया, दस वर्ष का हो गया (5.1)।	किगाली (2016) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) में HFC जोड़ता है, जो वियना अभिसमय (1985) के अंतर्गत है।
श्रृंगेरी (Sringeri)	कर्नाटक के चिक्कमगलूर ज़िले में, तुंगा नदी पर (पश्चिमी घाट); तुंगा और भद्रा आगे मिलकर तुंगभद्रा बनाती हैं, जो कृष्णा की सहायक नदी है।	सर्वोच्च न्यायालय ने 201 मतों से जीती गई इस सीट की 2023 की मतगणना के 'खोए' वीडियो पर ECI को 'प्रतिकूल निष्कर्ष' की चेतावनी दी (त्वरित तथ्य; IE पृ. 15)।	शारदा पीठम का स्थल, जो आदि शंकराचार्य को परंपरागत रूप से श्रेय दिए गए चार मठों में से एक है।
मराठवाड़ा (Marathwada)	मध्य महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) मंडल; पश्चिमी घाट की वृष्टि-छाया में गोदावरी बेसिन के आठ ज़िले।	टैंकरों पर निर्भर; महाराष्ट्र ने 358 में से 305 तहसीलों में सूखा घोषित किया, ₹5,000 अग्रिम दे रहा है (3.1)।	1948 तक निज़ाम का हैदराबाद राज्य; जायकवाडी बाँध (गोदावरी, पैठन) इसका मुख्य जलाशय है।

10.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): हितों का टकराव (और शीतलन अवधि)

अर्थ — हितों का टकराव तब होता है जब किसी अधिकारी के निजी संबंध किसी सार्वजनिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हों, या प्रभावित करते दिखें। यह स्थिति से जुड़ा है, हस्ताक्षर से नहीं, इसलिए किसी नाम के शेरधारिता से हटने पर भी बना रहता है; उपाय: प्रकटीकरण, स्वयं को अलग करना, प्रतिस्पर्धा बहाल करने वाला रास्ता।

आज के समाचार में — केस 1 और कार्ड 7.2: BDL द्वारा ऐसी फ़र्म को एकल निविदा, जिसे उसके पूर्व CMD ने अपनी पत्नी के साथ स्थापित किया था; सेवानिवृत्त बोर्ड-स्तरीय CPSE अधिकारियों के लिए DPE की एक वर्ष की शीतलन अवधि ठीक ऐसे ही मामले पर लक्षित है।

उत्तर में उपयोग — खरीद/सेवानिवृत्ति-उपरांत केस स्टडी: टकराव को नाम दीजिए, नियम का हवाला दीजिए (GFR 2017 एकल निविदा; DPE शीतलन अवधि), सीमित निविदा और CVO को नोट का सुझाव दीजिए।

10.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

सड़क पर होने वाले किसी विरोध-प्रदर्शन को प्रायः उसके कारण से आँका जाता है। समर्थक पूछते हैं कि शिकायत वास्तविक है या नहीं; विरोधी पूछते हैं कि तरीका वैध है या नहीं। दोनों एक तीसरे पक्ष को छोड़ देते हैं: वे जो न उसे आयोजित करते हैं, न उसका विरोध करते हैं, पर उसकी कीमत चुकाते हैं। जब सड़कें बंद होती हैं, तो दुकानदार की एक दिन की बिक्री जाती है, दिहाड़ी मज़दूर की एक दिन की मज़दूरी, मरीज़ का इलाज का समय। किसी से पूछा नहीं गया; कोई आयोजकों से मोल-भाव नहीं कर सकता।

अर्थशास्त्री ऐसी लागत को बाह्यता (externality) कहते हैं: निर्णय से बाहर के किसी व्यक्ति पर पड़ने वाला बोझ। चूँकि आयोजक इसे वहन नहीं करते, उनके पास समाज के लिए उचित मात्रा से अधिक व्यवधान पैदा करने का कारण रहता है। मुद्दा यह नहीं है कि विरोध करना गलत है। एकत्र होने का अधिकार ध्यान खींचने का अधिकार है, और ध्यान खींचने के लिए अक्सर दूसरों को कुछ असुविधा देनी पड़ती है। पर वह असुविधा एक लागत है, और लागत को तौला जाना चाहिए, अनदेखा नहीं।

तौलना इसलिए कठिन है कि तराजू के दोनों पलड़े असमान हैं। विरोध का लाभ सार्वजनिक है और पतला-पतला बँटा हुआ है; लागत निजी है और आसपास के लोगों पर केंद्रित है, जो अक्सर सबसे गरीब होते हैं। जिस व्यापारी ने उधार पर त्योहार का माल खरीदा है, वह नीतिगत बदलाव के दीर्घकालिक लाभों की प्रतीक्षा नहीं कर सकता।

इससे प्रतिबंध नहीं, एक नियम सूझता है। जो विरोध अपना संदेश अजनबियों पर कम से कम बोझ डालकर पहुँचाता है, वह उस विरोध से अधिक सहनशीलता का हकदार है जो बोझ को ही अपना संदेश बना ले। न्यायालय और पुलिस एकत्र होने के स्थान और समय तय करते समय इसके रूप पहले से लागू करते हैं। आयोजक भी कर सकते हैं, यह पूछकर कि केवल उनका उद्देश्य न्यायसंगत है या नहीं, यही नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के उनके तरीके की कीमत कौन चुकाता है।

Q1. गद्यांश के केंद्रीय विचार को कौन-सा कथन सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है?

- विरोध-प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि वे गरीबों को हानि पहुँचाते हैं।
- राहगीरों पर विरोध की लागतें वास्तविक हैं और उन्हें उसके लाभों के सामने तौला जाना चाहिए।

- (c) विरोध का मूल्यांकन करने में केवल न्यायालय और पुलिस सक्षम हैं।
(d) जब भी शिकायत वास्तविक हो, विरोध उचित है।

Q2. गद्यांश के अनुसार, आयोजक समाज के लिए उचित मात्रा से अधिक व्यवधान क्यों पैदा करते हैं?

- (a) क्योंकि जो लागत बाहर के लोगों पर पड़ती है, उसे वे वहन नहीं करते।
(b) क्योंकि उनकी शिकायतें प्रायः बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती हैं।
(c) क्योंकि पुलिस बहुत अधिक सभाओं को अनुमति देती है।
(d) क्योंकि राहगीर उन्हें जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

Q3. लेखक का प्रस्तावित नियम निम्नलिखित में से क्या मानकर चलता है?

- (a) सभी प्रदर्शनकारी गरीबों के प्रति उदासीन होते हैं।
(b) एक ही संदेश प्रायः अजनबियों पर अलग-अलग मात्रा के बोझ के साथ पहुँचाया जा सकता है।
(c) नीतिगत बदलावों से व्यापारियों को कभी लाभ नहीं होता।
(d) दूसरों को असुविधा किसी वैध विरोध का हिस्सा कभी नहीं हो सकती।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. SDRF मानदंड वर्षा-आधारित किसान को ₹8,500 प्रति हेक्टेयर देते हैं, सीमा 2 हेक्टेयर। 3 हेक्टेयर वर्षा-आधारित भूमि वाले किसान को ₹5,000 का अग्रिम मिल चुका है। उसे अब कितनी राशि और मिलनी है?

- (a) ₹12,000
(b) ₹20,500
(c) ₹3,500
(d) ₹17,000

Q5. HFC का आधार-स्तर 100 इकाई है; उपयोग 2032 में इससे 10% कम और 2047 में 85% कम होना है। 2032 के स्तर से मापने पर 2032 से 2047 तक उपयोग कितने प्रतिशत गिरना चाहिए?

- (a) 75%
(b) 83.3%
(c) 85%
(d) 90%

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) गद्यांश प्रतिबंध नहीं, तौलना चाहता है; विकल्प 0 “मुद्दा यह नहीं है कि विरोध करना ग़लत है” से टकराता है; विकल्प 3 तीसरे पक्ष की उपेक्षा करता है।

Q2: (a) यह दूसरे अनुच्छेद में बाह्यता की परिभाषा से निकलता है; अन्य विकल्प कहीं नहीं कहे गए हैं।

Q3: (b) सबसे कम बोझ वाले तरीके को वरीयता देने का अर्थ है कि विकल्प मौजूद हैं; विकल्प 3 “ध्यान खींचने के लिए अक्सर कुछ असुविधा देनी पड़ती है” से टकराता है।

Q4: (a) सीमा: 2 हेक्टेयर × 8,500 = ₹17,000; ₹5,000 अग्रिम घटाने पर ₹12,000। ₹20,500 ग़लत ढंग से सभी 3 हेक्टेयर लेता है।

Q5: (b) 2032 का स्तर = 90; 2047 का स्तर = 15; गिरावट = 90 में से 75 = 83.3%। विकल्प 0 (75%) आधार-स्तर से मापता है, 2032 से नहीं।

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 · निबंध · खंड क · 7 मिनट पठन (min read)

संधि उन लोगों से किया गया वादा है जिनका अभी जन्म नहीं हुआ।

विषय (Themes): कुछ वादे जीवित लोग उनकी ओर से करते हैं जो अभी बोल नहीं सकते: एक संधि, एक संविधान, एक बीज-भंडार। ऐसे वादे तभी टिकते हैं जब वर्तमान उनकी कीमत चुकाने को तैयार हो, और जब संस्थाएँ उन्हें हस्ताक्षर करने वालों के जीवन से आगे ले जाएँ। अजन्मे लोग मोलभाव नहीं कर सकते, इसलिए उनके प्रति कर्तव्य अनुसूचियों, कानूनों और आदतों में बाँधा जाना चाहिए जो चुनावों और बाज़ारों से अधिक टिकें।

आज से दस वर्ष पहले किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) को चरणबद्ध ढंग से घटाने पर सहमति दी थी। ये वे गैसें हैं जो दुनिया के अधिकांश एयर-कंडीशनरों और फ्रिजों के भीतर होती हैं। उस कागज़ पर दस्तखत करने वालों में से कोई भी उसकी अंतिम समय-सीमा का पालन होते देखने को जीवित नहीं होगा। इसके अंतर्गत भारत की अनुसूची 2047 तक चलती है: 2028 में रोक, 2032 तक दसवाँ हिस्सा कटौती, और 2047 तक पचासी प्रतिशत कटौती। ओज़ोन सचिवालय के अनुसार इसका लाभ 2100 तक आधा डिग्री तक तापमान-वृद्धि को टालना है। इस अक्टूबर में जन्मी एक बच्ची तब चौहत्तर वर्ष की होगी। उसने दस्तखत नहीं किए; वह अभी मतदान नहीं कर सकती; जो कुछ निभाया या तोड़ा जाएगा, वह उसे विरासत में मिलेगा। इसलिए संधि का इमानदार वर्णन सरकारों के बीच का सौदा नहीं, बल्कि उन लोगों से किया गया वादा है जिनका अभी जन्म नहीं हुआ। यह निबंध पूछता है कि ऐसे वादे की कीमत कौन चुकाता है, और जिनकी रक्षा के लिए वह किया गया है वे किसी से हिसाब नहीं माँग सकते, तब उसे निभाने के लिए क्या चाहिए।

एडमंड बर्क ने 1790 में इस विचार को उसका शास्त्रीय रूप दिया। उनके अनुसार समाज एक ऐसी साझेदारी है जिसके उद्देश्य एक जीवनकाल में पूरे नहीं होते, और इसलिए वह “केवल जीवित लोगों के बीच की साझेदारी नहीं, बल्कि जो जीवित हैं, जो मर चुके हैं और जो जन्म लेने वाले हैं, उन सबके बीच की साझेदारी” बन जाती है। बर्क पुरानी संस्थाओं का क्रांतिके विरुद्ध बचाव कर रहे थे, पर यह वाक्य अपनी राजनीति से कहीं बड़ा हो चुका है। संसद ने 1976 में अनुच्छेद 48क और अनुच्छेद 51क(छ) जोड़े, जिनमें राज्य और हर नागरिक से वनों, झीलों और वन्यजीवों की रक्षा की अपेक्षा की गई है, और जिनके लाभार्थी अधिकतर अभी जन्मे ही नहीं हैं। और किगाली तक की राह स्वयं समय के आर-पार अजनबियों से किए गए वादों की कहानी है।

यह कहानी दो रसायनशास्त्रियों, मारियो मोलिना और शेखुड रोलेंड, से शुरू होती है, जिन्होंने 1974 में दिखाया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), जो रसोई में हानिरहित हैं, समतापमंडल में ऊँचाई पर ओज़ोन को तोड़ देंगे। 1985 में अंटार्कटिका के ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ओज़ोन परत में छिद्र की सूचना दी, और सिद्धांत तस्वीर बन गया। उसी वर्ष वियना अभिसमय हुआ, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और CFC चरणबद्ध ढंग से समाप्त किए गए। उनके स्थान पर आर्ड गैसों, यानी HFC, ने ओज़ोन को तो बरख्श दिया, पर वे कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में सैकड़ों से हज़ारों गुना अधिक ऊष्मा रोकती हैं। 2009 में माइक्रोनेशिया और मॉरीशस ने, जो दो छोटे द्वीपीय राष्ट्र गर्म होते समुद्र में सबसे अधिक खोने वाले थे, प्रस्ताव रखा कि ओज़ोन संधि इन नई गैसों को भी अपने दायरे में ले, और 2016 में उसने ले लिया। CFC पर प्रतिबंध उन्होंने उन पोते-पोतियों के लिए लगाया जो अन्यथा पतले आकाश के नीचे बड़े होते; किगाली उन्होंने उन द्वीपवासियों के लिए लिखा जिनका अभी जन्म नहीं हुआ। यह वादा केवल सद्भावना से नहीं निभा; उसके पीछे सचिवालय, कोष, अनुसूची और रिपोर्टिंग का दायित्व वाली संधि थी, ताकि मंत्रियों की हर पीढ़ी को विरासत में भावना नहीं, दायित्व मिले।

अजन्मों से किए गए किसी भी वादे की कठिनाई यह है कि उसकी कीमत जीवित लोग चुकाते हैं। यहाँ भारत का मामला दुनिया में सबसे तीखा है। शीतलन पहले ही देश की बिजली का दसवें हिस्से से कुछ अधिक लेता है, और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2035 तक माँग दोगुनी से अधिक हो जाएगी। किगाली गणना के लिए भारत का आधार 2024 से 2026 का औसत है, यानी इसी उछाल के वर्ष, जिससे 2028 की रोक आसान और 2047 तक की कटौती कठिन हो जाती है। पर्यावरण मंत्रालय का 1 अप्रैल 2026 का ज्ञापन इस सौदे का घरेलू सिरा है: 31 दिसंबर 2027 के बाद कोई नया HFC संयंत्र मंजूर नहीं किया जाएगा। इसकी कीमत कोई चुकाता है: वह कारखाना जिसे अपनी उत्पादन-लाइन बदलनी होगी, वह क्लिनिक जिसे 45°C में अधिक महँगी, आग से सुरक्षित मशीन खरीदनी होगी। अजन्मी बच्ची कोई चेक नहीं भेजती। चेक का सम्मान हुआ, तो उसे केवल एक अधिक टंडी सदी मिलती है।

प्रति-तर्क को उसका पूरा वज़न मिलना चाहिए। वर्तमान को यह अधिकार किसने दिया कि वह उन लोगों के लिए स्वयं पर कर लगाए जो हैं ही नहीं? आज के गरीब वास्तविक हैं; 2100 के लाभार्थी एक अनुमान हैं। इस दीपावली पर सूखे की राहत का इंतज़ार करता

मराठवाड़ा का कोई किसान उचित ही पूछ सकता है कि उसकी सरकार घर पर शीतलन की क्रीमत सँभालने के बजाय किगाली में अनुसूचियों पर दस्तखत क्यों करती है। एक दूसरी आपत्ति और भी तीखी है: अजन्मों से किया वादा ऐसा वादा है जिसे कोई लागू नहीं करा सकता। अजन्मे न मुकदमा कर सकते हैं, न हड़ताल, न किसी मंत्री को वोट से हटा सकते हैं। इतिहास ऐसी संधियों से भरा है जो कागज़ पर निर्भी और ज़मीन पर टूटीं, क्योंकि पीड़ित पक्ष अदालत में हाज़िर ही नहीं हो सकता था। और वर्तमान भविष्य की ज़रूरतें जानता भी नहीं; 1930 के दशक के रसायनशास्त्री CFC को मानवता का उपहार मानते थे, और एक अर्थ में वे थे भी।

ये आपत्तियाँ थीसिस को परास्त नहीं करतीं; वे बताती हैं कि ऐसे वादे कैसे गढ़े जाने चाहिए। पहला, बोझ मुख्यतः वहाँ पड़ना चाहिए जहाँ चुकाने की क्षमता है। इसीलिए भारत ने किगाली में सबसे धीमी अनुसूची और सहमत वृद्धिशील लागत चुकाने वाले बहुपक्षीय कोष के लिए डटकर पैरवी की, और इसीलिए धनी पक्षकारों ने 2019 में कटौती शुरू कर दी, जबकि समूह 2 के गर्म देश 2028 तक प्रतीक्षा करते हैं। जो वादा जीवित ग़रीबों को दिवालिया कर दे, वह पहले चुनाव में टूट जाएगा। दूसरा, वादे को तोड़ने की अपेक्षा निभाना सस्ता बनाया जाना चाहिए। दक्षता किगाली का बाध्यकारी दायित्व नहीं है, फिर भी UNEP और IEA पाते हैं कि गैस और मशीन दोनों साथ बदलने से जलवायु-लाभ लगभग दोगुना हो जाता है और बचाई गई बिजली से उसकी लागत निकल आती है। जो वादा वादा करने वाले का धन बचाए, वही निभाया जाएगा। तीसरा, और सबसे महत्वपूर्ण, वादा ऐसी संस्थाओं में टिकाया जाए जो अपने रचनाकारों से अधिक जिज़्: संधि में अनुसूची, अधिनियम के अंतर्गत नियम, मशीन पर स्टार लेबल, और रिपोर्टिंग का वह दायित्व जिसे कोई मंत्रालय चुपचाप छोड़ न सके।

भारत का अपना यह सप्ताह इसी सिद्धांत के छोटे दर्पण प्रस्तुत करता है। वायनाड के कुरिचिया किसान चेरुवयल रमन, जिनका कल छिहत्तर वर्ष की आयु में निधन हुआ, ने उस समय भी तीन एकड़ में पचपन देशी धान किस्में बचाए रखीं जब राज्य संकर किस्मों को बढ़ावा दे रहा था। उन्होंने कभी बीज बेचा नहीं। उन्होंने बीज एक ही शर्त पर दिया: किसान फ़सल का एक हिस्सा बीज के रूप में लौटाए। यह अजन्मे लोगों के साथ की गई संधि है, जो अनुच्छेदों में नहीं, बाँस की टोकरियों में लिखी गई। इस सप्ताह जब मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक की बिक्री को मंजूरी दी, तो रिज़र्व बैंक की खरीदार पर शर्तें, पाँच वर्ष तक बँधी पूँजी और पंद्रह वर्ष में 26 प्रतिशत तक गिरावट, उन जमाकर्ताओं से वादा थीं जिन्होंने अभी खाता खोला ही नहीं: कि स्वामित्व धीरे-धीरे, निगरानी में बदलेगा। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश कि 27 अक्टूबर से काउंटर पर खरीदे गए हर रेल टिकट के साथ बीमा हो, इसी परिवार का है। जिस यात्री की वह रक्षा करता है, उसने अभी टिकट खरीदा ही नहीं है, और न्यायालय ने यह दायित्व एक नामित निकाय, रेलवे बोर्ड, को सौंपा, ताकि वादे का एक पता हो।

तो फिर संधि क्या है? वह एक वाक्य है जिसे जीवित लिखते हैं और अजन्मे पढ़ते हैं। किगाली के दस वर्ष बाद भारत की कसौटी यह नहीं कि उसके मंत्री अनुसूची दोहरा सकते हैं या नहीं, बल्कि यह कि आधार-अवधि बंद होने से पहले नियम अधिसूचित हुए या नहीं, हर चरण के साथ दक्षता का मानक कड़ा होता है या नहीं, और क्लिनिक तथा परिवार स्वच्छतर मशीन का खर्च उठा पाते हैं या नहीं। अजन्मे अपना पक्ष नहीं रख सकते, इसलिए वर्तमान को उनकी ओर से पैरवी करनी होगी, उस एकमात्र भाषा में जो पीढ़ियों के आर-पार पहुँचती है: ऐसा कानून जो लिखा गया हो, जिसके लिए धन रखा गया हो और जो लागू किया जाए। बर्क की साझेदारी कोई भावना नहीं है; वह दायित्वों का एक समुच्चय है। किसी राज्य का पैमाना यह है कि उसके कितने वादे ऐसे लोगों से किए गए हैं जो उसका नाम कभी नहीं जानेंगे।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): किगाली के दस वर्ष: भारत को 2028 में HFC पर रोक लगानी है और 2047 तक 85% घटाना है, जबकि शीतलन की माँग दोगुनी होगी - तीन एकड़ में 55 देशी धान किस्में बचाए रखने वाले कुरिचिया किसान चेरुवयल रमन का 76 वर्ष की आयु में निधन - मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फेयरफैक्स को ₹52,878 करोड़ में बेचने को मंजूरी दी

आज का आईना — पत्रिका बंद करने से पहले दो मिनट

दर्पण का अर्थ है आईना। आज की पत्रिका बंद करने से पहले उसे अपने सामने रखिए। उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए — तीन पंक्तियाँ काफी हैं।

1. अगर आज की सबसे बड़ी खबर — “सर्वोच्च न्यायालय का आदेश: 27 अक्टूबर से काउंटर पर बिके रेल टिकटों का भी बीमा; जवाबदेही रेलवे बोर्ड की” — में आप ज़िलाधिकारी होते, तो आपका पहला क़दम क्या होता, और आप सबसे पहले किससे मिलते?

2. आज किस खबर को आपने पहली बार दूसरे पक्ष से देखा? जिस तर्क से आप असहमत थे, उसका सबसे मज़बूत रूप लिखिए।

3. सादगी समय की भी होती है। आज आपने समय कहाँ बचाया, और कहाँ गँवाया?

क्षमता, गुमनामी, सादगी — हर दिन एक छोटा क़दम। And we shall become, my man.